NEWS LETTER

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY JABALPUR

OCTOBER
2020

Nonviolence is a weapon of the strong

Court Based Legal Services

I^st Pre Litigation Mediation at International Level

Employer-Employee Dispute

One Jhalak Jain complainant filed a complaint against her employer company viz. Pivotchain Solutions Technologies Pvt. Ltd. for her wrongful termination and non-payment of arrears of her salary. It has been averred that the company has refused to pay her legitimate claim qua the salary and her reimbursement bills in accordance with the terms and conditions of her job contract. She filed complaint before Habibganj Police station, Bhopal being resident of Bhopal and as well as Pune Police station, Maharashtra since the company was based at Pune, Maharashtra. After lock down, the directors of the said company ran away to Dubai. When the complainant has filed the complaint before this Authority, the Director remained staying at Dubai.

DLSA Bhopal has issued a notice to the company to appear before this Authority to settle the dispute through pre litigation mediation. The company appeared before this Authority through its lawyer Sh. Jatin Sharma from Delhi.

After few online sessions of pre litigation mediation, both the complainant and the company settled their dispute amicably, accordingly, settlement was done by executing MOU dated 10th September as per agreed certain terms and conditions. It has been agreed that the employer company shall pay full and final amount of Rs 3,20,000/- in two equal installments subject to withdrawal of all complaints which was filed against the company by the complainant. The company shall issue experience certificate to the complainant without any negative remarks. In compliance of said MOU, the company has paid Ist installment on 26th September, 20. Today, on 08th October, 20, the requisite documents and remaining balance payment as stated in the said MOU were done by the parties through online mode. Nothing remain unsettled between the parties. The Company shall pay the remaining balance amount by today itself. Matter is resolved amicably by the parties.

Success Story on
M.P. Crime Victim Compensation Scheme, 2015

DLSA SHIVPURI

DLSA, Shivpuri under the M.P. Victim Compensation Scheme, 2015 (MPVCS) on 10-10-2020 passed order in 03 cases. Victim Compensation Case No. 05/2018 arose from the application filed by the legal heirs of deceased Mr. Mahesh Sharma whose death was homicidal.

On the basis of this application DLSA- Shivpuri initiated proceeding and conducted enquiry as prescribed under the Scheme. During inquiry it came to the knowledge that regarding the murder of Mr. Mahesh Sharma a Session trail no. 75/2018 title State of M.P. through Police Station Satanwada Vs Klayan and other is pending before the 4th ASJ, Shivpuri. On this basis DLSA, Shivpuri sent a letter to concerned Court regarding the status of a case and if judgement is passed the true copy of the same be sent to DLSA, Shivpuri. In this case 4th ASJ, Shivpuri passed the Judgement on dated 06-03-2020 by convicting accused Kalyan for the murder of Mahesh Sharma. After completing the procedure as per MPVCS 2015 the DLSA, Shivpuri awarded Rs. 4 Lacs as compensation to wife and daughter of the deceased respectively vide order dated 10-10-2020.

Case No. 07/2019 arose from the S.T. No. 240/2016 State through Kotawali Shivpuri Vs Nirpat Rawat and others Judgement dated 19-09-2019 passed by 6th ASJ, Shivpuri. The said Court in the Judgement Para 100 stated that deceased Laxman Rawat's 02 minior sons who have suffered loss/damages as a result of their father murder they shuld be rehabilitated by providing reasonable compensation. True copy of the said Judgement was sent to DLSA, Shivpuri, in compliance therof DLSA Shivpuri registered the matter under MPVCS 2015 and proceeded according to provision of that compensation Scheme.

After completing the enquiry as per procedure it was found that Smt. Gunja@Baby@Neeta the wife of deseased Laxman Rawat has been the accused under whose conspiracy the murder of Laxman Rawat took place and she has been also convicted by 6th ASJ, Shivpuri along with co-accused, so she is not entitled for compensation. On this basis DLSA, Shivpuri awarded Rs. 4 Lacs Compensation to the deceased's minior son's Aditya Rawat and Adarsh Rawat by order dated 10-10-2020.

Case No. 03/2020 arose from the S.S.T. No. 100/2017 State through Police Station Bhonti Vs Nawal Jatav Judgement dated 18-02-2020 passed by Special Court Pocso. The Special Court in the Judgement's Para 43 recommended that prosecutrix a minior girl be compensated for the loss/damages suffered as a result of rape/sexual assault. The true copy of said Judgement's was send to DLSA, Shivpuri on the basis of that DLSA, Shivpuri registered the case under M.P. Victim Compensation Scheme, 2015 and conducted enquiry as per procedure.

After completion of enquiry the DLSA, Shivpuri awarded Rs. 2 Lacs compensation in favour of minior girl for the loss/damages as a result of rape/sexual assault on her by order dated 10-10-2020.

In conclusion DLSA, Shivpuri has awarded total Rs. 10 Lacs Compensation under M.P. Victim Compesation Scheme, 2015 in 03 cases thereby benefitting 05 persons.

E- inauguration of Mediation Center & Vivaad Viheen Gram

On 17 October, 2020 at 05.00 PM, Shri Justice Sharad Arvind Bobde, Hon'ble the Chief Justice of India, Supreme Court and Partron-in-Chief, National Legal Services Authority, New Delhi inaugurated 03 newly constructed Mediation Centers through online mode at Tehsil Legal Services Committees viz. **Bijawar, Kasrawad and Mauganj** of Districts Chhatarpur, Mandleshwar and Rewa in gracious presence of Shri Justice Sanjay Yadav, Hon’ble Acting Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh and Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority and other Hon’ble Judges of High Court, Jabalpur. So far, 43 ADR Centers & 45 Tehsil Mediation Centers have been established in Madhya Pradesh, making a total of 88 ADR / Mediation Centers.

In the said program, under the Litigation Free Village Scheme 2000 of

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2020-10-18 | Page- 1

CJI Sharad Bobde inaugurates three newly-constructed mediation centres

■ Staff Reporter

CHIEF Justice of India and Patron-in-Chief, National Legal Services Authority (NLSA), Justice Sharad Arvind Bobde, on Saturday, inaugurated as many as three newly-constructed mediation centres online at Tehsil Legal Services Committees, including Bijawar, Kasrawad and Mauganj of districts Chhatarpur, Mandleshwar and Rewa, in presence of Justice Sanjay Yadav, Acting Chief Justice of Madhya Pradesh High Court. So far, 43 ADR centres and 45 Tehsil mediation centres have been established in Madhya Pradesh, making a total of 88 ADR/Mediation centres.

During the programme, under Litigation Free Village Scheme 2000 of MP State Legal Services Authority, as many as five villages, including Chargaon Pinjara of Chhindwara district, Barbaspur of Seoni district, Bija Jabalpur district, Kathora district Mandleshwar and Melpada district Jhabua were selected and inaugurated online. On the occasion, CJI Bobde also inaugurated mediation centres of Nema and Gond communities in Jabalpur. The important step will pave way for settlement of cases in the society in a harmonious and amicable manner.

Mediation is a free process, in which no party loses and the mediation settlement that is agreed and reached by the conflicting parties attains finality. With inauguration of mediation centres at tehsil level, disposal of cases in remote locations of the State will be possible through mediation, which will not only resolve disputes and decrees litigation but also create an environment of harmonious cohesion in society along with saving of time and resources.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

Madhya Pradesh State Legal Services Authority, 05 Villages viz. **Chargaon Pinjara** District-Chhindwara, **Barbaspur** District-Seoni, **Bija** District-Jabalpur, **Kathora** District Mandleshwar and **Melpada** District-Jhabua were selected and E-inaugurated. On this occasion, the Community Mediation Centers of Nema & Gond Communities at Jabalpur were also inaugurated by Hon'ble the Chief Justice of India.

This important step will pave the way for settlement of cases in the society in a harmonious and amicable manner. Mediation is a free process, in which no party loses, and the mediation settlement that is agreed & reached by the conflicting parties attains finality.

With the inauguration / opening of Mediation Centers at the tehsil level, disposal of cases in remote locations of the State will be possible through Mediation, which will not resolve disputes and decrease litigation but also creates an environment of harmonious cohesion in society along with saving of time and resources.

The selection of Litigation Free Villages is an important step towards establishing a dispute less society.

Media Coverage

जिले का ग्राम मेलपाड़ा विवादविहीन ग्राम चयनित

अमरवाड़ा, समाज को विवादरहित किए जाने की परिकल्पना को साकार करते हुए ग्राम पंचायत भाजीपानी के ग्राम चारगांव पिंजारा, जनपद पंचायत अमरवाड़ा को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की विवादविहीन ग्राम योजना के अंतर्गत विवादविहीन ग्राम घोषित किए जाने की ऑनलाइन घोषणा माननीय मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति एस.ए.बोवडे के द्वारा माननीय संजय यादव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति कार्यपालक अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर व श्रीमती गिरिबाला सिंह सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर चारगांव पिंजारा में उपस्थित माननीय बी.एस. भदौरिया जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अरविंद गोयल अपर जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा, श्रीमती निशा विश्वकर्मा, श्री अजय करोठिया अपर जिला न्यायाधीश अमरवाड़ा, सुश्री संध्या मरावी, सुश्री पलक राय न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरवाड़ा, दीपक वैद्य एसडीएम अमरवाड़ा, डॉ. संतोष डेहरिया एसडीओपी अमरवाड़ा, ग्राम सरपंच ब्रजलाल डीआर उइके मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद अमरवाड़ा, रजनीश चौरसिया उइके, सचिव सरनसिंह परतेती, सहायक सचिव श्रीमती उमा वरकडे, जिला विधिक सहायता अधिकारी तथा गणमान्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑनलाइन घोषणा

विवादविहीन ग्राम घोषित

PRO Jansampark Chhindwara

...म चारगांव पिंजारा को ऑनलाईन घोषित किया गया विवादविहीन ...म

============================

...रत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति स.ए.बोवडे द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर। ...र्यपालक अध्यक्ष व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजय यादव औ... ...दस्य सचिव श्रीमती गिरिबाला सिंह की उपस्थिति में विवादविहीन ग्रा... ...जना के अंतर्गत समाज को विवादरहित किये जाने की परिकल्पना ...े साकार करते हुये जिले की जनपद पंचायत अमरवाड़ा की ग्राम ...चायत भाजीपानी के ग्राम चारगांव पिंजारा को ऑनलाईन ...वादविहीन ग्राम घोषित किया गया है। इस अवसर पर ग्राम चारगांव ...जारा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ...न्दवाड़ा के अध्यक्ष श्री बी.एस.भदौरिया, अपर जिला न्यायाधीश व ...िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अरविन्द कुमार गोयल औ... ...िला विधिक सहायता अधिकारी श्री रजनीश चौरसिया के साथ ही ...हसील अमरवाड़ा के न्यायाधीशगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, ग्राम ...रगांव पिंजारा के सरपंच, सचिव और ग्रामीण जन उपस्थित थे।

छिंदवाड़ा

ग्राम चारगांव पिंजारा विवादहीन ग्राम घोषित

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई ऑनलाइन घोषणा

झाबुआ जिले का ग्राम मेलपाड़ा विवाद विहीन हेतु चयनित सुप्रीम कोर्ट के चीफजस्टिस ने किया ऑनलाईन शुभारंभ

विवाद विहीन हेतु ग्राम मेलपाड़ा का हुआ चयन

मेलपाड़ा ग्राम को चयनित किया गया। ग्राम मेलपाड़ा के प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में ग्रामवासियों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ द्वारा किया गया। प्रारंभ में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थितजन को आपसी सुलह-समझौते से विवादों का समाधान करने की समझाईश दीएवं गांव को विवाद विहीन बनाये रखने के लाभों से परिचित कराया गया तथा शांतिप्रिय एवं सद्भाव से सभी ग्रामवासियों के साथ कोई भी झगड़ा और विवाद करने का सभी ग्रामवासियों ने संकल्प लिया तथा गांव में एवं परिवार में कोई आपसी झगड़ा या विवाद होने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राजीनामा, मध्यस्थता, लोक अदालत आदि के माध्यम से आपसी समांजस्य और सहमति के आधार पर विवादों का समाधान करने के लिये पहल की गई। ऑनलाईन वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मान. बोबड़े द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय से मध्यप्रदेश के कार्यवाह चीफजस्टिस मान. संजय यादवएवं सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह के साथ ग्राम मेलपाड़ा को विवाद विहीन चयनित होने परघोषण की गई, जिसका स्वागत सभी ग्रामवासियों के साथ जिला जज राजेश कुमार गुप्ता एवं अपर जिला जज एवं सचिव प्राधिकरण राजेश देवलिया व अन्य उपस्थित न्यायाधीशगण ने ताली बजाकर किया। मेलपाड़ा के स्कूल को प्राकृतिक फूलों और पौधों से सजाकर विवाद विहीन ग्राम के बैनर और बोर्ड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ की ओर से लगाये गये। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव राजेश देवलिया, अपर जिला न्यायाधीश संजय चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्टेड्ट गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक मजिस्टेड्टगण राजकुमार चौहान, हर्ष ठाकुर, अंशुल जैन, अमन सुलिया, अनुविभागीय पुलिस इडला मौर्य, सब-इंस्पेक्टर गुलाब वर्मा, ग्राम सरपंच, सचिव, तडवी, शिक्षक, आंनगबाडी कार्यकर्ता एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे।

दैनिक भास्कर झाबुआ 19-10-2020

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑनलाइन की घोषणा

ग्राम मेलपाड़ा विवाद विहीन योजना में शामिल, समझौते के तरीके बताएंगे

भास्कर संवाददाता | झाबुआ

ग्राम पंचायत गोली छोटी के ग्राम मेलपाड़ा का चयन विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत किया गया। मुख्य न्यायाधिपति एसए बोबड़े ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका चयन किया। गांव को मुकदमेबाजी और झगड़ों से निजात दिलाने एवं विवादों से दूर रहने के अवधारणा को साकार करते हुए इसका चयन किया गया।

इसके लिए ग्राम मेलपाड़ा के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में ग्रामवासियों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को आपसी सुलह-समझौते से विवादों का समाधान करने की समझाइश दी गई। साथ ही गांव को विवाद विहीन बनाए रखने के फायदों के बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबड़े, जबलपुर उच्च न्यायालय से मध्यप्रदेश के कार्यवाह चीफ जस्टिस संजय यादव, सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह ने मेलपाड़ा को विवाद विहीन चयनित होने की घोषणा की। इस अवसर पर जिला जज राजेश कुमार गुप्ता, अपर जिला जज एवं सचिव प्राधिकरण राजेश देवलिया, अपर जिला न्यायाधीश संजय चैहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक मजिस्ट्रेट राजकुमार चौहान, हर्ष ठाकुर, अंशुल जैन, अमन सुलिया, एसडीओपी इडला मौर्य सहित सरपंच, सचिव, तड़वी व ग्रामीण मौजूद थे।

मेलपाड़ा में हुए कार्यक्रम में मौजूद न्यायाधीश।

मेलपाडा विवाद विहीन हेतु चयनित सुप्रीम कोर्ट के चीफजस्टिम ने किया ऑनलाईन शुभारंभ

झाबुआ। भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री एस. ए. बोबड़े के द्वारा ऑनलाईन वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से झाबुआ जिले के ग्राम मेलपाड़ा (ग्राम पंचायत गोला छोटी) तहसील व विकास खंड झाबुआ को मुकदमेबाजी और झगड़ों से निजात दिलाने एवं विवादो से दूर रहने के अवधारण को सरकार करते हुये ऑनलाईन ई -शुभारंभ करके विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत मेलपाड़ा ग्राम को चयनित किया गया। ग्राम मेलपाड़ा के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में ग्रामवासियों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ के द्वारा किया गया।

प्रारम्भ में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम सरपंच, पंचायत सचिव, आंगनबाडी कार्यकर्ता , तड़वी स्कूल शिक्षक ग्राम के गणमान्य नागरिकगण एवं महिलाओ तथा बच्चों को आपसी सूलह-समझौते से विवादों का समाधान करने की समझाईस दी गई एवं गांव को विवाद विहीन बनाये रखने के लाभो से परिचित कराया गया तथा शांतिप्रिय एवं सद्भाव से सभी ग्रामवासियों के साथ कोई भी झगड़ा और विवाद करने का सभी ग्रामवासियों ने संकल्प लिया तथा गांव में एवं परिवार मे कोई आपसी झगड़ा या विवाद होने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राजीनामा, मध्यस्थता , लोक अदालत आदि के माध्यम से आपसी समांजस्य और सहमति के आधार पर विवादों का समाधान करने के लिये पहल की गई।

ऑनलाईन वीड़ियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के चीफजस्टिम माननीय श्री बोबडे साहब द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय से मध्यप्रदेश के कार्यवाह चीफ जस्टिम माननीय श्री संजय यादव साहब एवं सदस्य सचिव महोदया श्रीमती गिरिबाला सिंह जी के साथ ग्राम मेलपाड़ा को विवाद विहीन चयनित होने पर की घोषण की गई, जिसका स्वागत सभी ग्रामवासियों के साथ जिला जज श्री राजेश कुमार गुप्ता एवं अपर जिला जज जिला एवं सचिव प्राधिकरण राजेश देवलिया व अन्य उपस्थित न्यायाधीशगण ने ताली बजाकर किया गया। मेलपाड़ा के स्कूल को प्राकृतिक फूलों और पौधों से सजाकर विवाद विहीन ग्राम के बैनर और बोर्ड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ की ओर से लगाये गये।

झाबुआ जिले का ग्राम मेलपाडा विवा
सुप्रीम कोर्ट के चीफजस्टिम ने किया

झाबुआ। कल दिनांक 17.10.2020 को शाम 05:00 बजे भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री एस. ए. बोबड़े के द्वारा ऑनलाईन वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से झाबुआ जिले के ग्राम मेलपाड़ा (ग्राम पंचायत गोला छोटी) तहसील व विकास खंड झाबुआ को मुकदमेबाजी और झगड़ों से निजात दिलाने एवं विवादो से दूर रहने के अवधारण को सरकार करते हुये ऑनलाईन ई -शुभारंभ करके विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत मेलपाड़ा ग्राम को चयनित किया गया। ग्राम मेलपाड़ा के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में ग्रामवासियों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ के द्वारा किया गया। प्रारम्भ में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम सरपंच, पंचायत सचिव, आंगनबाडी कार्यकर्ता , तड़वी स्कूल शिक्षक ग्राम के गणमान्य नागरिकगण एवं महिलाओं तथा बच्चों को आपसी सूलह-

विवाद विहीन हेतु ग्राम मेलपाड़ा का हुआ चयन

मेलपाड़ा ग्राम को चयनित किया गया। ग्राम मेलपाड़ा के प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में ग्रामवासियों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ द्वारा किया गया। प्रारंभ में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थितजन को आपसी सुलह-समझौते से विवादों का समाधान करने की समझाईश दीएवं गांव को विवाद विहीन बनाये रखने के लाभों से परिचित कराया गया तथा शांतिप्रिय एवं सद्भाव से सभी ग्रामवासियों के साथ कोई भी झगड़ा और विवाद करने का सभी ग्रामवासियों ने संकल्प लिया तथा गांव में एवं परिवार में कोई आपसी झगड़ा या विवाद होने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राजीनामा, मध्यस्थता, लोक अदालत आदि के माध्यम से आपसी समांजस्य और सहमति के आधार पर विवादों का समाधान करने के लिये पहल की गई। ऑनलाईन वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मान. बोबड़े द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय से मध्यप्रदेश के कार्यवाह चीफजस्टिस मान. संजय यादवएवं सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह के साथ ग्राम मेलपाड़ा को विवाद विहीन चयनित होने परघोषण की गई, जिसका स्वागत सभी ग्रामवासियों के साथ जिला जज राजेश कुमार गुप्ता एवं अपर जिला जज एवं सचिव प्राधिकरण राजेश देवलिया व अन्य उपस्थित न्यायाधीशगण ने ताली बजाकर किया। मेलपाड़ा के स्कूल को प्राकृतिक फूलों और पौधों से सजाकर विवाद विहीन ग्राम के बैनर और बोर्ड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ की ओर से लगाये गये। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव राजेश देवलिया, अपर जिला न्यायाधीश संजय चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्टेड्ट गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक मजिस्टेड्टगण राजकुमार चौहान, हर्ष ठाकुर, अंशुल जैन, अमन सुलिया, अनुविभागीय पुलिस इडला मौर्य, सब-इंस्पेक्टर गुलाब वर्मा, ग्राम सरपंच, सचिव, तडवी, शिक्षक, आंनगबाडी कार्यकर्ता एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे।

Mediation

Mediation Awareness Programme

DLSA SEONI

DLSA DATIA

DLSA DATIA

Media Coverage

गांधी जयंती पर जिला न्यायालय में मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम

सत्ता सुधार|हरदा

गांधी जयंती के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शशीकलॉं चंद्रा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्री के चित्र पर फूल माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्जवलित कर कोविड-19 महामारी के चलते जिला न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश एसके जोशी, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय केएन सिंह, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मा. केएस शाक्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्त न्यायाधीशगण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह एवं

अधिवक्तागण तथा न्यायालयीन कर्मचारीगण की उपस्थिति में मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया । श्रीमती चंद्रा द्वारा शिविर में उपस्थित न्यायाधीश एवं अधिवक्ता को मध्यस्थता जागरूकता योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर लोगो को जागरूक करना एवं न्यायालय के माध्यम से ऑनलाईन, संचार माध्यमों से मध्यस्थता कार्यवाही पर जोर दिया। सभी को कोरोना महामारी में मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। कार्यक्रम में श्री शाक्य द्वारा मध्यस्थता जागरूकता में उपस्थित अधिवक्ता को इस संबंध में विशेष रूप से बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण किया जाकर विवाद का अंतिम रूप से निराकरण होता है।

जिला न्यायालय परिसर में किया मध्यस्थता जागरूकता को प्रेरित

हरदा. गांधी जयंती के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशीकला चंद्रा ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं समक्ष द्वीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने शिविर में उपस्थित न्यायाधीश एवं अधिवक्ताओं को मध्यस्थता जागरूकता योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने एवं न्यायालय में ऑनलाइन एवं संचार माध्यमों से मध्यस्थता कार्रवाई करने पर जोर दिया। न्यायाधीश केएस शाक्य ने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण किया जाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। विवाद का अंतिम रूप से निराकरण होता है। इस मौके पर विशेष न्यायाधीश एसके जोशी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय केएन सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह, अधिवक्तागण तथा न्यायालयीन कर्मचारी मौजूद थे।

गांधी जयंती पर सफाई मित्रों के लिए लगाया गया योजना शिविर

विवादों को हल करने का तरीका है मध्यस्थता

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

दतिया. मध्यस्थला अदालतों का सहारा लिए बिना विवादों को हल करने का एक वैकल्पिक तरीका है। यह एक सरंचित, स्वैच्छिक और संवादात्मक बातचीत प्रक्रिया हैं जहां एक तटस्थ तृतीय पक्ष विशेष संचार और बातचीत तकनीकों का उपयोग करता है ताकि पक्षकरों को मध्यस्थता का लाभ प्राप्त हो सके। उक्त बात अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया दिनेश कुमार खटीक ने एडीआर भवन में आयोजित मध्यस्थता जागरूकता शिविर के दौरान कही।

सोमवार को राष्ट्रीय कार्ययोजना अनुसार जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनीता यादव के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा एडीआर भवन जिला न्यायालय दतिया में मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अपर जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार खटीक ने शिविर में उपस्थित पैरालीगल वालेंटियर्स को मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले लाभों के बारे में बताया। उन्होने कहा कि मध्यस्थता की कार्यवाही पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है। जिससे पक्षकार अपनी बात मध्यस्थ के समक्ष बिना किसी बाधा के रख सके। शिविर में सुनील त्यागी, पैरालीगल वालेंटियर्स अंकिता श्रीवास्तव, महेन्द्र सिंह बघेल थे।

Lok Adalat Programmes

Online Lok Adalat

With a view to resolve disputes of parties, the M.P. SLSA designed formats for conducting e-Lok Adalat. Accordingly, Special Lok Adalats for all matters through online mode was scheduled on **23.10.20** & **31.10.20** at the High Court and Dist. Court level.

Disposal at High Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
221	147	1,49,06,258	469

Disposal at Dist. Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
5893	1581	27,41,39,751	4013

Total Disposal (High Court + District Court)

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
6114	1728	28,90,46,009	4482

The nature of matters disposed through online mode was under MACT, NI Act, Civil Disputes and Criminal Compound matters.

Glimpses and Media News of E-Lok Adalat

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2020-10-24 | Page-2
ehitavada.com

e-Lok Adalat organised under State legal Service Authority

■ Staff Reporter

E-LOK ADALAT was organised under the guidance of Executive Chairman of State Legal Service Authority, Justice Sanjay Yadav at the High Court and sub-ordinate courts of the District Court, on Friday.

It may be noted that due to corona crisis routine work of courts has not been done as usually since months. Therefore, under changed conditions the e Lok Adalat was conducted through video conferencing.

Division bench was constituted for disposal of motor accident compensation cases at the principal seat Jabalpur and Indore bench. The division bench at Jabalpur was headed by Justice Vijay Kumar Shukla and Advocate Divya Kirti Bohre as member of the bench.

Cases related to motor accident compensation were presented during the E Lok Adalat. For the same, Advocates and parties did not have to come to the court.

Litigant's counsel settling issues during the e-Lok Adalat.

As per the schedule only advocates were communicated for settlement of the cases.

Senior office-bearers of the High Court Legal Service Committee informed that 147 cases out of total 221 cases were settled and award of Rs 1,49,06,258 was passed by the division bench at the Jabalpur during the e-Lok Adalat.

Similarly, an e-Lok Adalat was also organised at district courts and 235 cases out of total 996 cases, which were referred to the courts, were settled amicably and award of Rs 49,84,759 were passed.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

एडीजे ने आपसी समझौते से सुलझाया मामला

गुना। जिला मुख्यालय पर आयोजित ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में खंडपीठ क्रमांक-1 के पीठासीन अधिकारी एडीजे सचिन कुमार घोष ने दो पक्षों के बीच आपसी बातचीत से राजीनामे में पौने दो करोड़ का विवाद सुलझाया।

Online *Lok Adalat* held at Jabalpur, Tehsil Court, Sehora, Patan

■ Staff Reporter

ONLINE permanent and continuous *Lok Adalat* was organised at District Court Jabalpur, Tehsil Court, Sehora and Patan on Saturday. The *Lok Adalat* was organised under the guidance of District and Session Judge Navin Kumar Saxena and with the co-ordination of Secretary Sharad Bhamkar. During the *Lok Adalat*, cases of motor accident compensation claims were resolved and a total award of Rs 7,06,22,313 was passed. For the resolution of cases, a total of four division benches were constituted and 430 cases pending in the courts were referred and 425 cases were resolved through online mode.

कोरोना | आयोजित हो रही ऑनलाइन स्थाई लोक अदालत

46 प्रकरणों का किया गया निराकरण, 94,93,378 रुपए का अवार्ड पारित

भास्कर संवाददाता | रीवा

कोरोना संक्रमण के चलते न्यायालय द्वारा पूर्व से आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालत भी प्रभावित हो रही किया जा रहा है। जिससे कि कोरोना संक्रमण से अधिक से अधिक बचाव हो सके। बताया गया है कि इस तरह की लोक अदालत विगत 31 अक्टूबर को आयोजित की गई। संक्रमण के चलते राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नहीं हो पाया। विगत जुलाई माह से पुनः ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सिंह के मार्गदर्शन में शासन की समस्त गाइड लाइन का पालन करते हुए ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन विपिन कुमार लावनिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के नेतृत्व में किया गया। जिला न्यायालय के साथ-साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज एवं हनुमना में भी ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत के आयोजन के लिए खण्डपीठों का गठन किया जा रहा है। बताया गया है कि न्यायालय में दो खण्डपीठ तथा तहसील न्यायालय में कुल सात खण्डपीठ बनाई गई है। इस तरह से पूरे जिले में कुल नौ खण्डपीठ ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौड़ एवं खण्डपीठ क्र. 2 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शशांक सिंह ने ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का कार्य संपादित कराया।

इस तरह निराकृत हुए प्रकरण- ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत के इस आयोजन में मोटर क्लेम के 45 प्रकरण, चेक बाउंस के 19 तथा सिविल के दो प्रकरण इस तरह से कुल 66 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए थे लेकिन इनमें से मोटर क्लेम के 41, चेक बाउंस के 4, सिविल के 1 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें से 233 लोगों को लाभान्वित किया गया जिनसे 9493378 रुपए का अवार्ड पारित

9,493,378 राशि के अवार्ड पारित

ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में 46 प्रकरणों का निराकरण

स्टार समाचार रीवा

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में विपिन कुमार लवानिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के नेतृत्व में कोरोना संबंधी शासन की समस्त गाईडलाईन का पालन करते हुए ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को किया जाता है। जिस हेतु रीवा न्यायालय के साथ-साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज एवं हनुमना में भी ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत हेतु खंडपीठों का गठन किया जाता है। रीवा न्यायालय में दो खंडपीठें एवं तहसील न्यायालयों में कुल 7 खंडपीठे इस तरह से संपूर्ण जिला न्यायालय रीवा में कुल 9 खंडपीठे

ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत के लिए गठित की गई थी। रीवा न्यायालय में खंडपीठ क्रमांक 1 में अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौड़ एवं खंडपीठ क्रमांक 2 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शशांक सिंह ने ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का कार्य संपादित किया। उक्त विशेष लोक अदालत में निम्नानुसार प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस तरह ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में मोटर क्लेम के 41 प्रकरण निराकृत हुये और 8871500 रुपए की समझौता राशि के आदेश पारित किए गए और 224 व्यक्ति लाभान्वित हुये एवं 1 सिविल प्रकरण, 4 चेक बाउंस प्रकरण समेत कुल 46 प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते से किया गया एवं कुल समझौता राशि 9,493,378 के आदेश पारित किए गए।

प्रकरण की प्रकृति	रखे गए प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	लाभांवित व्यक्ति	समझौता राशि
मोटर क्लेम	45	41	224	8871500
चेक बाउंस प्रकरण	19	04	06	621878
सिविल प्रकरण	02	1	03	
कुल	66	46	233	9,493,378

Success Story

DLSA JABALPUR

Application of Mr. Sijo Fran resident R-17, Shakti Nagar, Ward No. behind Jain Temple. 18, 866 / J. Jabalpur was forwarded by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Jabalpur to District Legal Services Authority for providing legal aid. The said case was directed for redressal through a public utility services lok adalat. The said case has been registered in the public utility services lok adalat. The mobile number given in the application of the applicant Sijo Fran was approached, his problem was heard and he was given proper legal advice. Due to which he was satisfied and by working on the advice of him, he solved his problem and on being resolved, the applicant thanked the District Authority. He was convinced by the District Legal Services Authority, Jabalpur, that if he needs any kind of legal assistance or advice in future, then the District Legal Services Authority is always committed to help.

Reaching out to our Jail Inmates

Jail Inspection

DLSA BHOPAL

The Secretary of this authority has inspected the Central Jail, Bhopal on 13th October, 20. Approx. 75 Jail inmates including 16 inmates who had sought legal aid discussed their respective problems. The authority will do the resolutions thereof. The jail authority is following the prescribed protocol during Covid-19 in Central Jail, Bhopal. Virtual Meeting and telephonic conversation are going to be organized with the family members of inmates in accordance of Jail Manual. There is no complaint against the jail authority. Separate meeting was conducted with Jail inmates PLVs in order to know the difficulty, if any, in the Jail. Women inmates cell was also inspected.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा जिला जेल झाबुआ में महिला बंदियों के लिए ऑनलाईन वर्जुअल लीगल लिटरेसी कैम्प **"Accessing Justice For Women Inmates and their Accompanying Children in Prison"** का दिनांक 13.10.2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा महिला जेल बंदियों के लिए **"Special Online Virtual Legal Assistance Camp" का आयोजन किया गया। Video Conferencing** के माध्यम से न्यायाधीशगण द्वारा जेल झाबुआ की सभी महिला बंदियों से वकील पैरवी, आहार, उपचार, साफ–सफाई व अन्य सभी आवश्यक बिन्दुओं पर पूछताछ की गई, महिला बंदियों को उनके अधिकार, विधिक सहायता एवं सलाह की जानकारी, पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता, आदि की महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कानूनी जानकारियां दी गई।

उक्त Video Conferencing विधिक साक्षरता शिविर में अध्यक्ष, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अन्य न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहें।

Video Conferencing विधिक साक्षरता शिविर में 15 महिला बंदी ऑनलाईन माध्यम से जुड़कर उपस्थित रहीं।

DLSA BHIND

DLSA DHAR

जेल में बंदियों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

बंदियो को बताए विधिक अधिकार

हरदा, देशबन्धु। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा के मार्गदर्शन में तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के.एस.शाक्य एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह एवं जेलर एम एस रावत कि उपस्थिति में जिला जेल हरदा में कोविड-19 के चलते शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये विधिक साक्षरता शिविर एवं जेल का निरीक्षण किया गया।

जेल में निरूद्ध बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में तथा जेल बंदियो को प्लीबारगेनिंग के बारे में विस्तार से बताया गया एवं कैदियों की समस्याओं को सुनकर उनको समझाईश दी । जेल में निरूद्ध व्यक्तियों को रिमाण्ड कार्यवाही से ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा अधिवक्ता नियुक्त करने संबंधी जानकारी दी गयी । विचाराधीन बंदियों में जिनके अधिवक्ता पैरवी नहीं करते उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैनल अधिवक्ता नियुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।साथ ही विधिक सहायता प्रदान की गयी तथा बंदियो के अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। वहीं बताया गया कि विधिक सहायता हर हाल में जरूरतमंद व्यक्ति को मिलनी चाहिये। विधिक सहायता से कोई भी बंदी वंचित न रहे ।

जिला जेल हरदा में बंदियों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

CHOUTHASANSAR

बंदियो को बताए विधिक अधिकार

जिला जेल में बंदियों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

नव भारत

जिला जेल हरदा में बंदियों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

बंदियों को बताये विधिक अधिकार

हरदा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा के मार्गदर्शन में तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के.एस.शाक्य एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह की उपस्थिति में एवं जेलर एम.एस.रावत कि उपस्थिति में जिला जेल हरदा में कोविड-19 के चलते शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये, विधिक साक्षरता शिविर एवं जेल का निरीक्षण किया गया.

जेल में निरूद्ध बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में तथा जेल बंदियो को प्लीबारगेनिंग के बारे में विस्तार से बताया गया एवं कैदियो की समस्याओ को सुनकर उनको समझाईश दी तथा जेल में निरूद्ध व्यक्तियों को रिमाण्ड कार्यवाही से ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा अधिवक्ता नियुक्त करने संबंधी जानकारी दी गयी.

Online Training and Webinar

Online Dispute Resolution

"Community Mediation Training"

"Online Mediation Training of volunteers "Jain Community"

The occasion of Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee is a very important step towards encouraging access to mediation. The programme commenced through online mode today extending to participants of Jain Community in eight districts.

Mediation as very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level.

The topics of the programme will include psychology of conflict, negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Ms. Giribala Singh & Mr. Rajiv Karmahe- Judge Mediator/ Potential Trainer. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2020-10-02 | Page- 2

MPSLSA holds 20-hr online mediation porgramme

Staff Reporter

Giribala Singh, Member Secretary and Rajiv Karmhe Registrar MPSLSA giving training during community mediation programme.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

The Community Mediation Programme shall be implemented in each district by the District Legal Services Authority while M.P. State Legal Services Authority will provide trainers to impart training to Community Mediation Volunteers.

Online Dispute Resolution "Community Mediation Training"

"Online Mediation Training of volunteers "Kayasth Community"

The occasion of Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee is a very important step towards encouraging access to mediation. The programme commenced through online mode today extending to participants of Kayasth Community in eight districts.

Mediation as very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level.

The topics of the programme will include psychology of conflict, negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Ms. Giribala Singh & Mr. Rajiv Karmahe- Judge Mediator & Trainers. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2020-10-23 | Page- 2

MPSLSA holds online mediation programme

■ Staff Reporter

The Madhya Pradesh State Legal Services Authority organised a 20-hour online community mediation programme for as many as eight districts. The programme was conducted under the guidance of Justice Sanjay Yadav, Executive Chairman, MPSLSA.

The online programme was conducted for districts including Gwalior, Guna, Bhind, Muraina, Shivpuri and other. It was organised for Kayasth community from October 13 to October 22. Giribala Singh, Member Secretary, MPSLSA and Rajiv Karmhe, Registrar MPSLSA administered training to the participants. Speaking on the occasion they said it is a very important step towards encouraging access to mediation. Mediation is an important alternate dispute resolution mechanism. Earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions it will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve dispute within the society and thereby settle the conflicts at grass root level.

Singh said the topics of the programme include psychology of conflict, negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements etc. She said the confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

She said the community mediation programme would be implemented in each district by the District Legal Service Authority while the MP State Legal Services Authority will provide trainers to impart training to community mediation volunteers.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

The Community Mediation Programme shall be implemented in each district by the District Legal Services Authority while M.P. State Legal Services Authority will provide trainers to impart training to Community Mediation Volunteers.

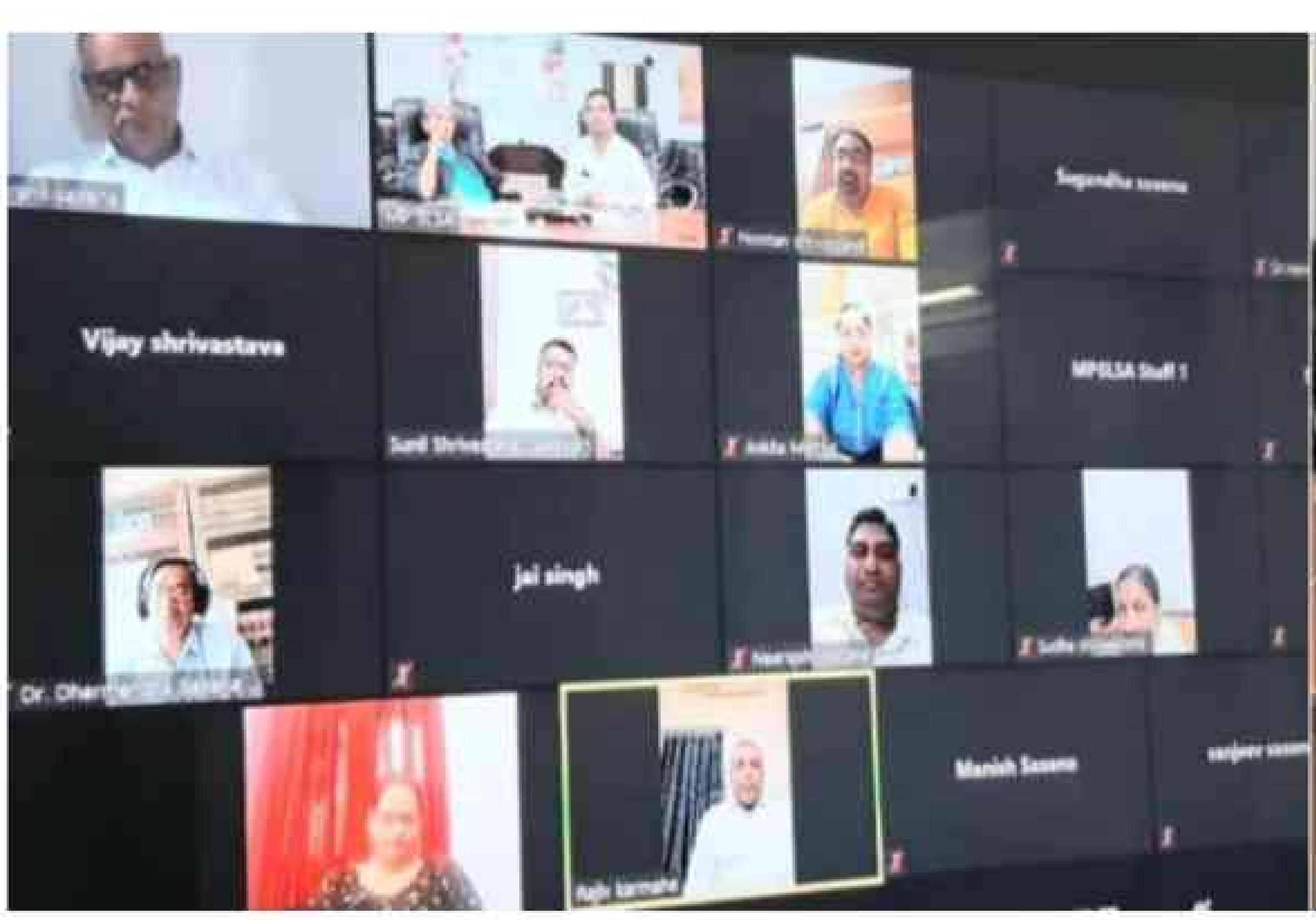

Conducting Online and offline Training Programme for Panel Advocates & PLV by DLSA

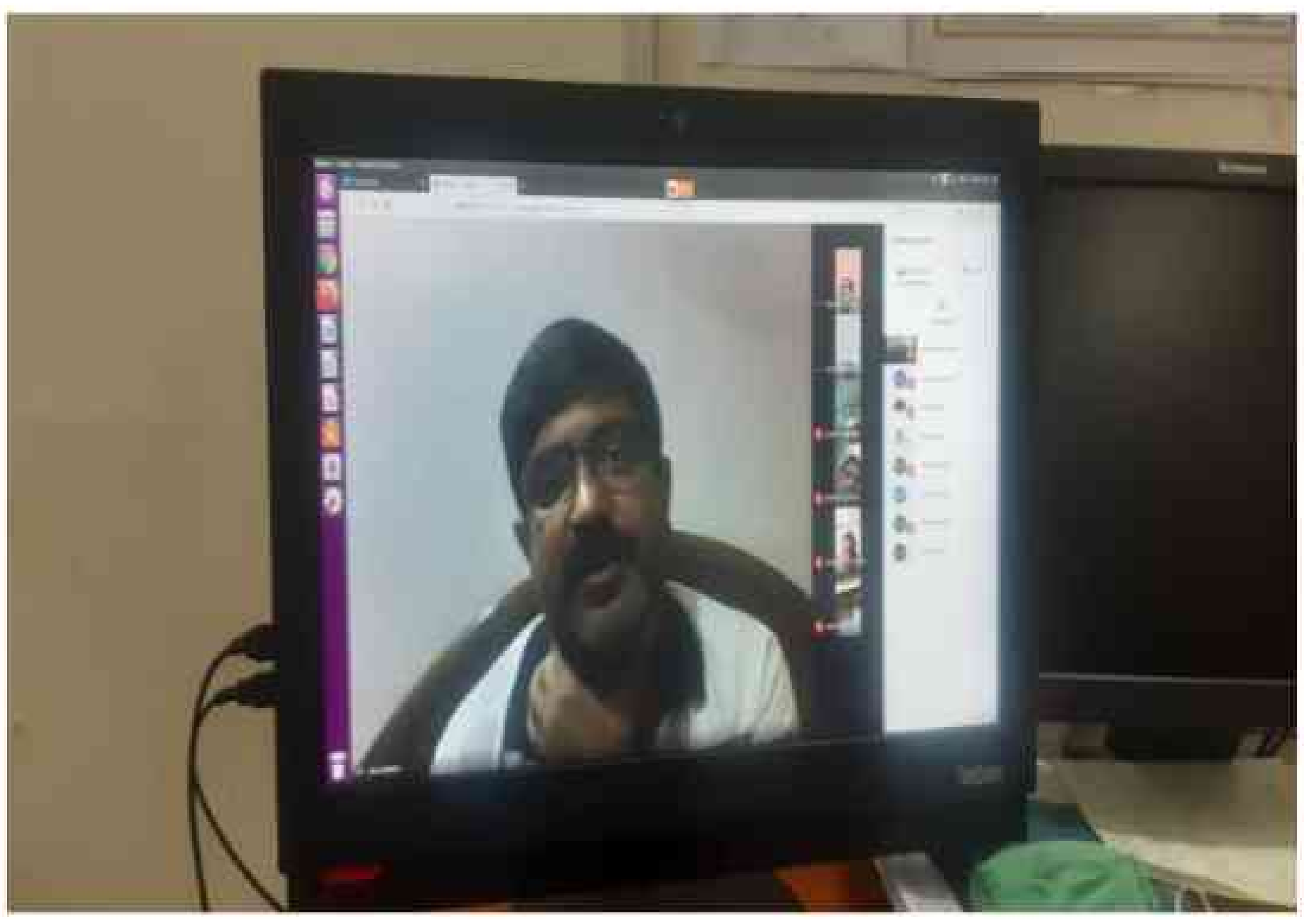

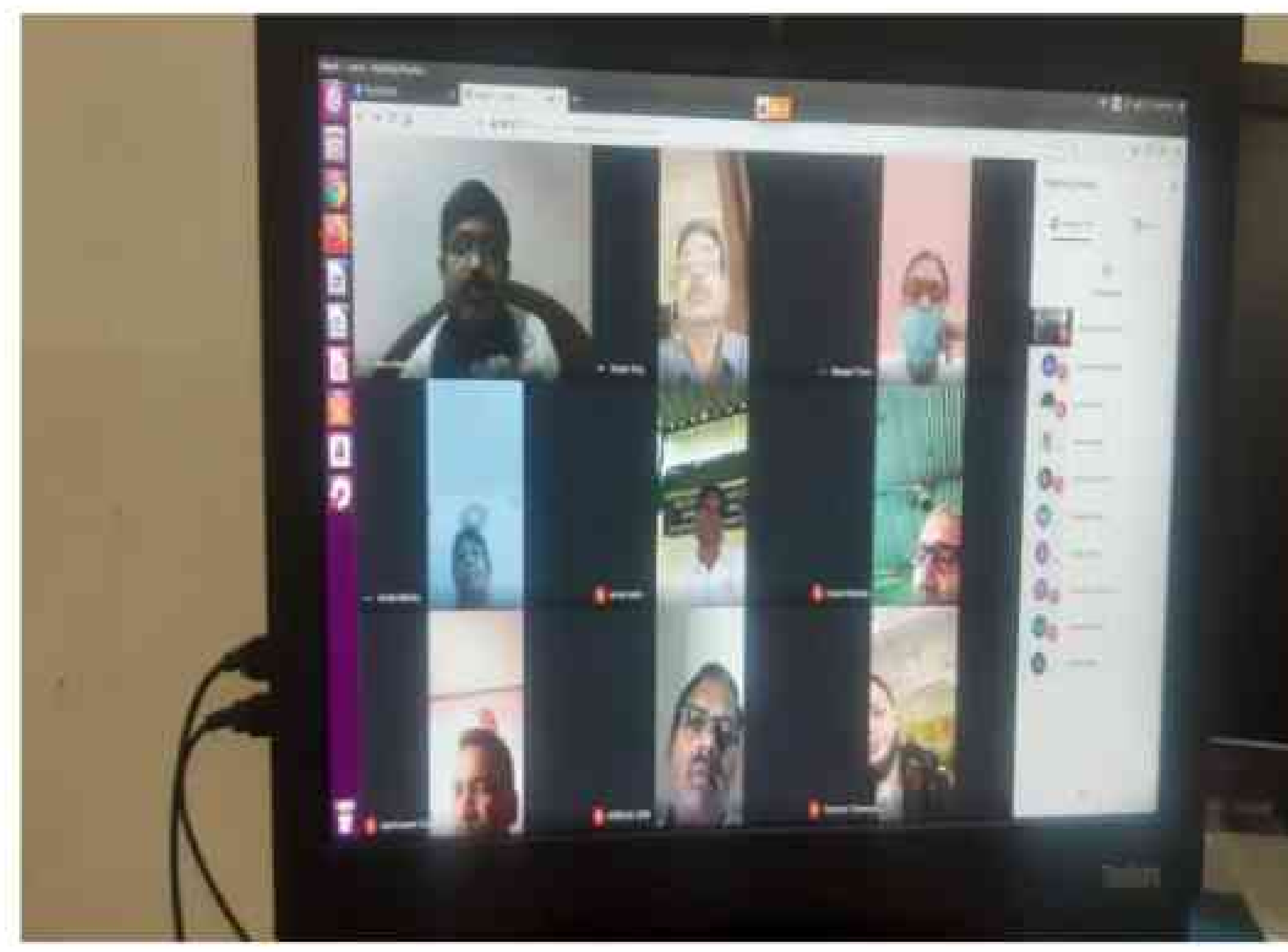

DLSA SHAHDOL

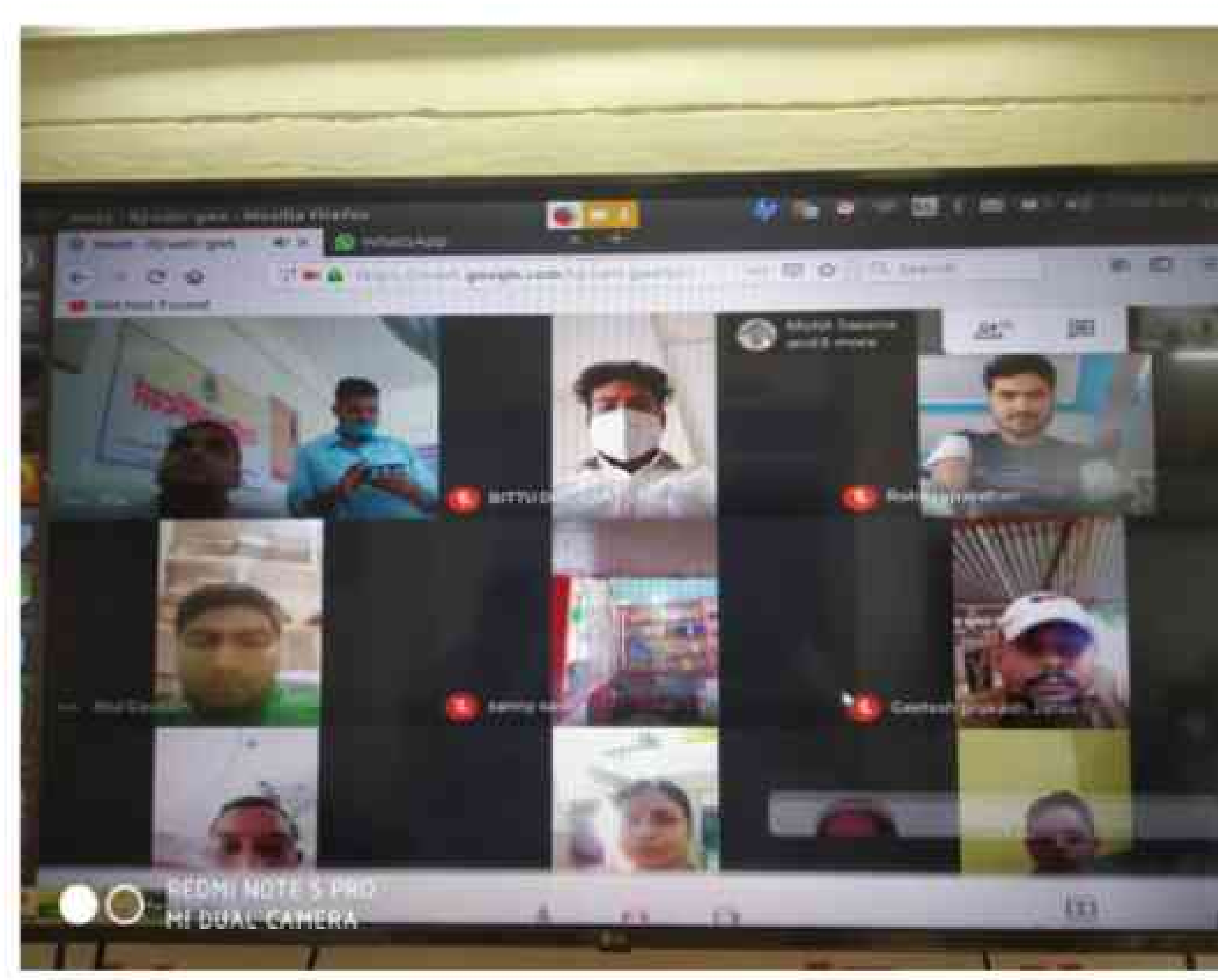

DLSA SHAHDOL

DLSA JHABUA

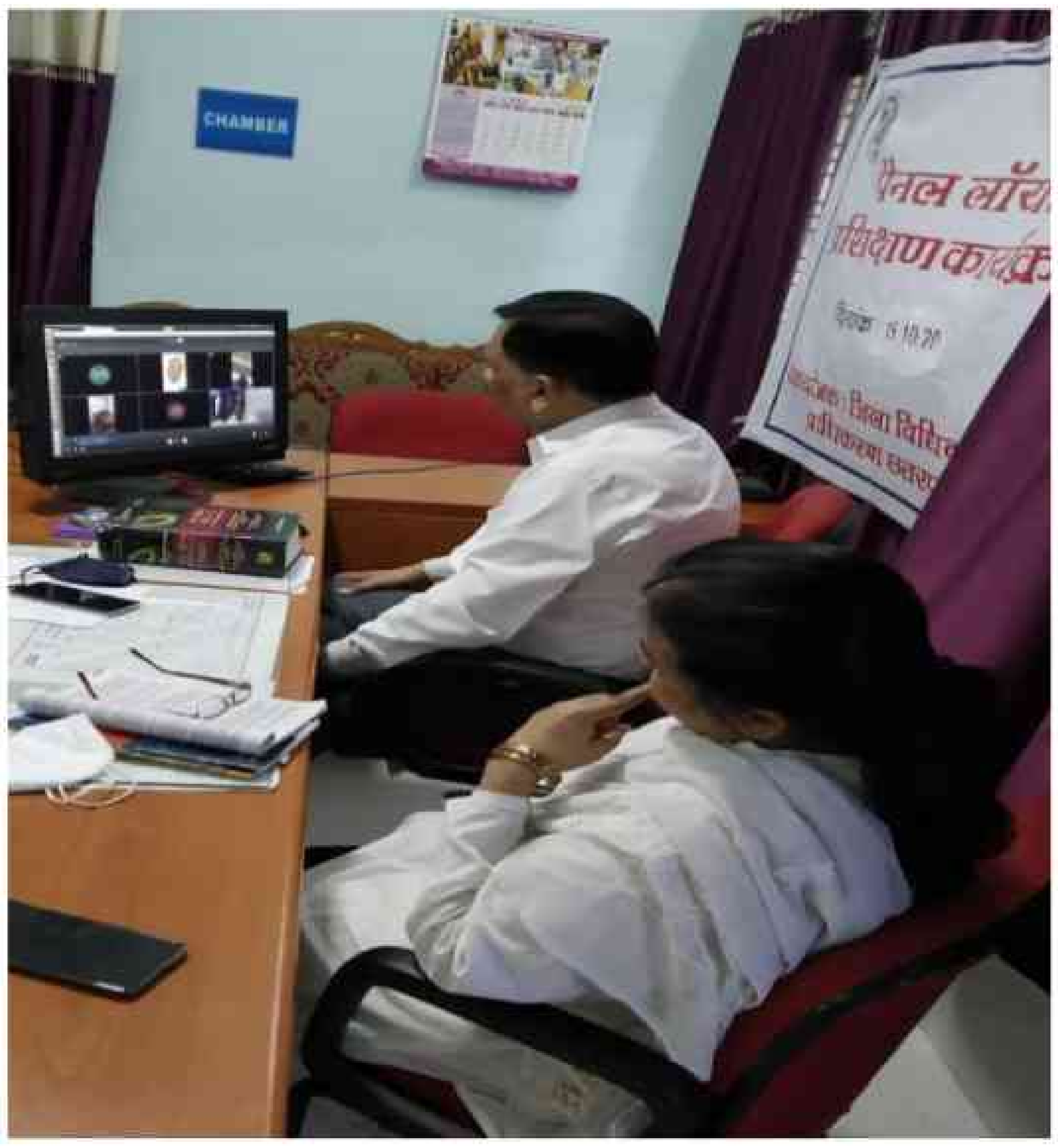

DLSA CHHATARPUR

Outreach Activities under Panch "J"

Preserving Our Beautiful Blue Planet

The concept of 'Panch J" i.e. Jal (Water), Jungle (Forest), Jameen (Land), Jan (People) and Jaanwar (Animals) was revisited keeping in view relevant schemes of NALSA are (Effective implementation of Poverty alleviation) Scheme 2015 & NALSA (Protection & Enforcement of Tribal Rights) Scheme 2015. Madhya Pradesh has a largely tribal and agrarian population. This has been addressed by Legal Services Institutions at two levels

(a) Needs of those persons whose livelihood is dependent on the environment.

(b) Preserving, protecting and rejuvenating the environment essential to maintain the ecosystem.

Apart from organized tree plantation programmes in coordination with Officers and Officials of the government, DLSAs have taken on the responsibility to prepare monthly reports on activities while spreading the message of Consume less, compost food waste, choose reusable over single-use and creatively re-cycle.

DLSA CHHATARPUR

DLSA JHABUA

Celebrating Senior Citizen Day

अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर 2020 के अवसर पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस संस्था ग्वालियर के द्वारा लाईव (ऑनलाईन) वेबीनार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना-2016 के अंतर्गत जिला प्राधिकरण झाबुआ एवं ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया

उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वक्ता गिरिबाला सिंह सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना–2016 अंतर्गत वृद्धजनों को विधिक सहायता एवं सलाह तथा विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी दी गई, वरिश्ठ नागरिकों को भरण–पोषण, माता–पिता कल्याण अधिनियम 2007, घरेलू हिंसा से वृद्धजनों का संरक्षण, समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जा रही वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन आदि की विस्तार से जानकारी दी, सदस्य सचिव ने वृद्धजनों को खुश रखने और उनकी सेवा व सहायता करने की सभी से अपील की। गेस्ट लेक्चर के रूप में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ ने भी अपने संबोधन में वृद्धजनों को सालसा एवं नालसा द्वारा संचालित विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों को समझाया तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से वृद्धजनों को लाभांवित करने के संबंध में बताया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. कृष्णा सिंह एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी) के.आर.जी. कॉलेज ग्वालियर ने किया। गेस्ट लेक्चर डालसा ग्वालियर सचिव ने भी वृद्धजनों के अधिकार एवं उन्हें मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया। श्री अशोक शर्मा अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान ग्वालियर ने उनकी संस्था द्वारा वृद्धजनों के हितो की सुरक्षा हेतु चलाये जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे डे केयर सेंटर, निःशुल्क नत्र उपचार शिविर आदि के बारे में बताया। श्री जी.एस.एल गौण सेवानिवृत्त अधिकारी महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर ने भी वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान दिये जाने के संबंध में संबोधन दिया। उक्त वेबीनार जागरूकता कार्यक्रम में यूट्यूब के माध्यम से **लगभग 300 व्यक्तिों** द्वारा यूट्यूब चैनल से देखकर प्रत्यक्ष रूप से लांभावित हुये।

हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब, आनंद विभाग अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर करेगा लाइव विधिक वेबिनार का आयोजन

वृद्धों की सहायता के लिये है विधिक सेवाः जिला न्यायाधीश

DLSA GWALIOR

On the occasion of International Senior Citizen's Day secretary DLSA Gwalior along with staff members and PLV visited Narayana senior citizen Ashram at Gwalior. Ashram was run by Smt. Maya Garg, trustee of the trust formed by her husband. Donations in the form of food grains, vegetables & fruits were received from the people. There were 40 senior citizens in the Ashram. Secretary DLSA personally interacted with the senior citizens, it came to his knowledge that many of the old people were from well-to-do families of Gwalior. They have mainly left their homes due to family feuds. They were made aware of the provisions of legal aid to senior citizens and provisions of maintenance and welfare act of senior citizens. On being persuaded the senior citizens refused to initiate any proceedings for maintenance and for their own property against their legal heirs. It was their submission that eventually the property will go to their legal heirs, hence there is no need of litigation and they were happy with the other inmates of the Ashram. Plv Anshuman Sharma was deputed with the Ashram, in case if any of the inmates or other person visiting the Ashram wishes to initiate any proceedings in the court of law. The administration of the Ashram accepted our request to put a sign board displaying the provisions of maintenance and welfare act in their premises, which will be shortly prepared and handed over to them. Some of the senior citizens were not able to get costly medicines for the treatment,for which on being assured one of the senior citizen gave his medical prescription,to whom the medicines were made available immediately from the market. The senior citizens were assured of all the help in case of any need*

DLSA GWALIOR & JHABUA

अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर 2020 के अवसर पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस संस्था ग्वालियर के द्वारा लाईव (ऑनलाईन) वेबीनार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना–2016 अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वक्ता गिरिबाला सिंह सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना–2016 अंतर्गत वृद्धजनों को विधिक सहायता एवं सलाह तथा विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी दी गई, वरिष्ठ नागरिकों को भरण–पोषण, माता–पिता कल्याण अधिनियम 2009, घरेलू हिंसा से वृद्धजनों का संरक्षण, समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जा रही वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन आदि की विस्तार से जानकारी दी, सदस्य सचिव, राज्य प्राधिकरण द्वारा वृद्धजनों को खुश रखने और उनकी सेवा व सहायता करने की सभी से अपील की। गेस्ट लेक्चर के रूप में श्री राजेश देवलिया अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ ने भी अपने संबोधन में वृद्धजनों कोसालसा एवं नालसा द्वारा संचालित विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों को समझाया तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से वृद्धजनों को लाभांवित करने के संबंध में बताया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. कृष्णा सिंह एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी) के.आर.जी. कॉलेज ग्वालियर ने किया। गेस्ट लेक्चर डालसा ग्वालियर सचिव श्री ऋतुराज सिंह ने भी वृद्धजनों के अधिकार एवं उन्हें मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया। श्री अशोक भार्मा तूफान अध्यक्ष वरिश्ठ नागरिक सेवा संस्थान ग्वालियर ने उनकी संस्था द्वारा वृद्धजनों के हितो की सुरक्षा हेतु चलाये जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे डे केयर सेंटर, निःशुल्क नेत्र उपचार शिविर आदि के बारे में बताया। श्री जी.एस.एल गौण सेवानिवृत्त अधिकारी महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर ने भी वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान दिये जाने के संबंध में संबोधन दिया। कार्यक्रम संयोजक श्री अंशुमन भार्मा मानव अधिकार आयोग मित्र एवं अध्यक्ष हैप्पीनेस अवेयरनेस मिशन आंनद क्लब ग्वालियर के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया एवं संस्था के कियाकलापों के बारे म जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं दर्शकों का आभार डॉ. ज्योत्सना सिंह राजावत सहायक प्रोफेसर (संस्कृत) जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ने व्यक्त किया।झाबुआ एवं ग्वालियर जिले तथा मध्यप्रदेश के अनेक जिलों एवं अन्य प्रांतों जैसे उत्तरप्रदेश के झांसी शहर, कानपुर, बनारस व अन्य राज्यों में भी कार्यक्रम को ऑनलाईन यूट्यूब चैनल से अत्याधिक देखा और सुना गया।

उक्त वेबीनार जागरूकता कार्यक्रम में यूट्यूब के माध्यम से **आज दिनांक तक लगभग 300 व्यक्तिों** द्वारा यूट्यूब चैनल से देखकर प्रत्यक्ष रूप से लांभावित हये।

वृद्धों की हर तरह की सहायता के लिये है विधिक सेवा: गिरिबाला सिंह

वृद्धों की सहायता के लिये है विधिक सेवाः जिला न्यायाधीश

Awareness programme organized under the NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme, 2016 on the occasion of Senior Citizen day

DLSA BHIND

DLSA DATIA

DLSA ANUPPUR

DLSA BETUL

DLSA HARDA

DLSA SEONI

DLSA SHIVPURI

DLSA DATIA

DLSA NEEMUCH

Health Cheakup Camp - DLSA Mandla

Media Coverage

... राशन सामग्री ... रहा है।

हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब, आनंद विभाग अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर करेगा लाइव विधिक वेबिनार का आयोजन

ग्वालियर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब,आनंद विभाग के सहयोग से अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर गुरुवार को शाम 5 बजे यूट्यूब चैनल पर एक लाइव विधिक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर से सदस्य सचिव जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह उपस्थित रहेंगी। शिविर में वरिस्ठ नागरिकों के लिये नालसा विधिक सेवाएं योजना 2016 के संबंध में जानकारी दी जाएगी। झाबुआ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे राजेश देवलिया व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर के सचिव एडीजे ऋतुराज सिंह विषय पर गेस्ट लेक्चर देंगे। इसमें अतिथि के रूप में आनंद संस्थान के जिला समन्वयक इंजीण्एके शर्माए वरिस्ठ नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष अशोक शर्मा तूफान, आगाह संस्था के अध्यक्ष जीएसएल गौड़ उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन शासकीय केआरजी महाविद्यालय में हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर व मिशन आनंद क्लब सचिव कृष्णा सिंह व आभार जीवाजी यूनिवर्सिटी में भाषा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योत्स्ना सिंह करेंगी। कार्यक्रम में स्वागत भाषण हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब के अध्क्ष अंशुमान शर्मा की ओर से दिया जाएगा।

की हर तरह की सहायता के लिए है विधिक सेवा

लियर,न.सं.। वृद्धों की स्वास्थ्य,भरण-पोषण,विधिक आदि हर सहायता के लिए विधिक सेवा सदैव तत्पर है। यह बात राज्य सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव जिला न्यायाधीश गिरिबाला हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन के यूट्यूब चैनल पर आयोजित में कही। उन्होंने प्रदेश के वृद्धा आश्रम व केयर सेंटर में एक शिकायत पेटी लगाने व वृद्ध-जन की मदद के लिये पीएलवी करने की बात कही। इस वेबिनार का आयोजन जिला विधिक सेवा ण के तत्वावधान में हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब,आनंद के सहयोग से अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर किया गया। झाबुआ जिला सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे राजेश देवलिया ने नालसा सेवाएं योजना 2016 के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम में के रूप में वरिस्ठ नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष अशोक शर्मा आगाह संस्था के अध्यक्ष जीएसएल गौड़ आदि उपस्थित रहे। का संचालन शासकीय केआरजी महाविद्यालय में हिंदी विभाग सिएट प्रोफेसर कृष्णा सिंह व आभार जीवाजी विवि में भाषा की सहायक प्राध्यापक ज्योत्सना सिंह ने किया। कार्यक्रम में भाषण अंशुमान शर्मा ने दिया।

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धा आश्रम रपटाघाट में विधिक जागरूकता और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया

मंडला। वृद्धजन दिवस पर वृद्धों का स्वास्थ्य शिविर परीक्षण किया गया। • नईदुनिया

मंडला (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश [illegible] वार्ष्णेय के निर्देशन में एवं प्रज्ञा [illegible] सचिव, अपर जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धा आश्रम रपटाघाट मंडला में विधिक जागरूकता स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में सभी वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में विजय कुमार खोब्रागड़े जिला विधिक सहायता अधिकारी, आयुर्वेदिक डॉ रविन्द्र प्रताप सिंह, डॉ छोटा भाई कछवाहा, डॉ नीरज कोष्टा, सुश्री [illegible] अधीक्षिका वृद्धा आश्रम रपटाघाट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण की उपस्थिति में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए व कोरोना महामारी से बचाव हेतु सभी मानकों का पालन करते हुए सम्पन्न हुआ।

विजय कुमार खोब्रागड़े जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ माता-पिता का भरण-पोषण करना प्राचीन काल से ही पुत्रों का दायित्व माना गया है। भरण पोषण अधिनियम के तहत यदि माता-पिता अपनी आय अथवा अन्य संपत्ति से स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हों तो वृद्ध अथवा असहाय माता पिता अपने पुत्र और पुत्री से भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार है। साथ ही विधिक सहायता एवं सलाह योजना एवं महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करते हुए महिलाओं को सशक्त बनने के रास्ते सुझाए साथ महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई योजना, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने एवं समान रूप से न्याय प्राप्त करने का अधिकार है के संबंध में जानकारी दी।

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया

बैतूल। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल के सचिव मनोज मंडलोई के निर्देशन पर गुरुवार को उड़दन में जिला विधिक सहायता अधिकारी मिथलेश डेहरिया के साथ सभी बुजुर्गों से मुलाकात कर दिवस की बधाई दी और विधिक शिविर का आयोजन किया। पैरालीगल वालेंटियर शिखा भौरासे, अमित सक्सेना ने उनकी समस्या सुनी और उसके निराकरण के लिए आगामी समय में उचित कार्रवाई करने के लिए कार्यालय में आवेदन किया। ताकि वो सारे हक और अधिकार उन्हें मिल सकें, जिसके वे पात्र हैं।

वृद्धों की सेवा और उनकी रक्षा के लिए कई कानून और नियम : एडीजे

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने डे- केयर पर मनाया अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस

नीमच। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय नीमच, नालसा वरिष्ठ नागरिको के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016 के अंतर्गत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हृदेश जी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे श्री संजय जी जैन के निर्देशन में डे-केयर सेन्टर पर अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया।

इस दौरान श्री संजय जैन ने कहा कि बुजुर्गों की मेहनत, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के कारण ही हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखे। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं हैं। कल्याण विभाग साठ वर्ष से अधिक की आयु के नागरिक को सीनियर सिटीजन कार्ड प्रदान करता है। यह कार्ड बुजुर्गों के लिए काफी सुविधाजनक साबित हो सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें कई विशेष सुविधाएं मिलती हैं। बुजुर्गों की सुविधा के लिए सरकार डे केयर सेंटर भी स्थापित कर रही है।

साथ ही बताया कि समाज और नई पीढ़ी को सही दिशा दिखाने और उसे मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1990 में बुजुर्ग दिवस मनाने का फैसला किया था। आज का वृद्ध, समाज से कटा रहता है और सामान्यतः इस बात से अधिक दुःखी है कि, जीवन का विशद अनुभव होने के बावजूद कोई उनकी राय न तो लेना चाहता है और न ही उनकी राय को कोई महत्व देता है। वृद्ध समाज को इस दुःख और कष्ट से छुटकारा दिलाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

आज के युग में बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या उनका अकेलापन है। हमें परिवार व समाज में उनके लिए पर्याप्त समय अवश्य निकालना चाहिए। भारत में भी वृद्धों की सेवा और उनकी रक्षा के लिए कई कानून और नियम बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में वरिष्ठ नागरिकों के आरोग्यता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999 में वृद्ध सदस्यों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य व्यक्तियों को स्वयं के लिए तथा उनके पति या पत्नी के बुढ़ापे के लिए व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करना इसमें परिवारों को अपने परिवार के वृद्ध सदस्यों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही 2007 में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण विधेयक संसद में पारित किया गया है। इसमें माता-पिता के भरण-पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।

लेकिन इन सब के बावजूद हमें अखबारों और समाचारों की सुर्खियों में वृद्धों की हत्या और लूटमार की घटनाएं देखने को मिल ही जाती है। वृद्धाश्रमों में बढ़ती संख्या इस बात का साफ सबूत है कि वृद्धों को उपेक्षित किया जा रहा है। हमें समझना होगा कि अगर समाज के इस अनुभवी स्तंभ को यूं ही नजर अंदाज किया जाता रहा तो हम उस अनुभव से भी दूर हो जाएंगे जो इन लोगों के पास है। इस दौरान बीए एलएलबी द्वितीय वर्ष की छात्रा कुमारी सुविधि जैन ने भी बुजुर्गों से सम्बंधित कानून और अधिकारों की व बुजुर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और इनका लाभ उठाने की अपील की।

Celebrating Gandhi Jayanti

DLSA ANUPPUR

On 02-10-20 Arbitration awareness program organized on the occasion of Gandhi Jayanti. Program held in the office of District Legal Services Authority . Trained mediators, Panel advocates and other members of Bar Association were present in the program. They were motivated to settle the case through mediation. There were 32 people in attendance at the event. Camp was organized following social distancing.

DLSA BALAGHAT

Awareness programme through Banners & Posters under the NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015 on the occasion of Gandhi Jayanti

Mediation Awareness Programme on the occasion of Gandhi Jayanti

DLSA JHABUA

DLSA SHAHDOL

Data.docx

DLSA DATIA

Awareness programme through Rally on the Fundamental Right and Duties on the occasion of Gandhi Jayanti

DLSA NEEMUCH

Awareness programme on the topic
"Concept of Gandhiji's non-violence and mediation"

DLSA SHIVPURI

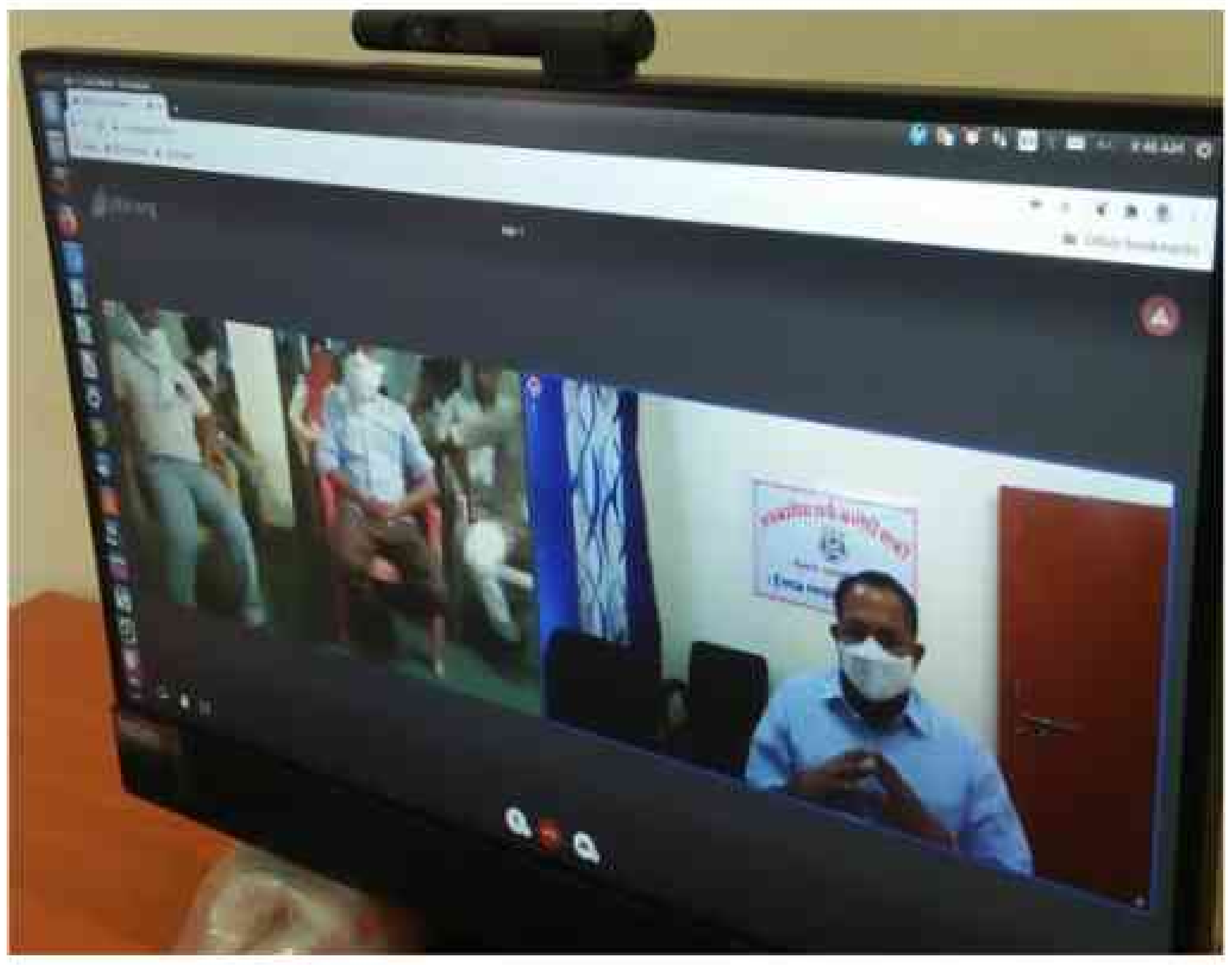

Online Mediation Awareness programme

Media Coverage

गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा और मध्यस्थता विषय पर हुई परिचर्चा

गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर हुआ आयोजन

नीमच। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) को समय दोपहर 12:00 बजे जिला न्यायालय स्थित ए.डी.आर. सेंटर के सभाकक्ष में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीष, नीमच श्री हृदेष जी के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधान न्यायाधीष, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच श्री अखिलेष शुक्ला जी की अध्यक्षता में ''गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा और मध्यस्थता'' विषय पर परिचर्चा एवं मध्यस्थता जागरूकता षिविर का कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुये आयोजन सम्पन्न हुआ। परिचर्चा में माननीय जिला न्यायाधीष श्री हृदेष जी ने अपने संबोधन में व्यक्ति किया कि गांधीजी की अहिंसा की अवधारणा एवं उनके अमर विचारों पर अमल किया जावे तो पूरा समाज शांतिमय एवं हिंसा विहीन हो जायेगा। उन्होंने कहा कि जब विवादों का समापन सुलह से होगा तो हिंसा की गुंजाईष नहीं रहेगी और अहिंसा की अवधारणा पनपेगी। सुलह के माध्यम से समझौता कराने में मध्यस्थता प्रक्रिया की भूमिका अहम हो जाती है।

उक्त कार्यक्रम को प्रधान न्यायाधीष कुटुम्ब न्यायालय श्री अखिलेष शुक्ला, अपर जिला न्यायाधीष श्री विवेक कुमार, अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह भाटी, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती हेमलता धाकड़, वरिष्ठ पत्रकार एवं नई विधा श्री राजेष मानव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मधु बंसल, गांधीवादी चिंतक एवं समाजसेवी श्री अजय भटनागर, प्रोफसर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच डॉ संजय जोषी ने भी सम्बोधित कर, गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा पर अपने विचार रखे एवं गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाष डाला। कार्यक्रम के प्रारंभ में आयोजन के उद्देष्य एवं रूपरेखा के बारे में अवगत कराते हुये, अपर जिला न्यायाधीष/सचिव श्री संजय कुमार जैन ने कार्यक्रम का संचालन एवं अंत में आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में जिला स्थापना के न्यायाधीषगण, अधिवक्तागण, मध्यस्थ अधिवक्तागण, गांधीवादी विचारक, पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेन्टियर्स, कर्मचारीगण एवं पत्रकारगण सम्मिलित हुये।

विवादों का समापन सुलह से होगा तो हिंसा की गुंजाईश नहीं रहेगी -जिला न्यायाधीश

गांधी जयंती - अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर हुआ आयोजन

नीमच। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) को समय दोपहर 12:00 बजे जिला न्यायालय स्थित ए.डी.आर. सेंटर के सभाकक्ष में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच श्री हृदेश जी के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच श्री अखिलेश शुक्ला जी की अध्यक्षता में गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा और मध्यस्थता विषय पर परिचर्चा एवं मध्यस्थता जागरूकता शिविर का कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुये आयोजन सम्पन्न हुआ। परिचर्चा में माननीय जिला न्यायाधीश श्री हृदेश जी ने अपने संबोधन में व्यक्त किया कि गांधीजी की अहिंसा की अवधारणा एवं उनके अमर विचारों पर अमल किया जावे तो पूरा समाज शांतिमय एवं हिंसा विहीन हो जायेगा।

उन्होंने कहा कि जब विवादों का समापन सुलह से होगा तो हिंसा की गुंजाईश नहीं रहेगी और अहिंसा की अवधारणा पनपेगी। सुलह के माध्यम से समझौता कराने में मध्यस्थता प्रक्रिया की भूमिका अहम हो जाती है। उक्त कार्यक्रम को प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अखिलेश शुक्ला, अपर जिला न्यायाधीश विवेक कुमार, अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह भाटी, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती हेमलता धाकड़, वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक नई विधा श्री राजेश मानव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मधु बंसल, गांधीवादी चिंतक एवं समाजसेवी अजय भटनागर, प्रोफसर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच डॉ संजय जोशी ने भी सम्बोधित कर, गांधीजी की अहिंसा की अवधारणा पर अपने विचार रखे एवं गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के प्रारंभ में आयोजन के उद्देश्य एवं रूपरेखा के बारे में अवगत कराते हुये, अपर जिला न्यायाधीश/सचिव संजय कुमार जैन ने कार्यक्रम का संचालन एवं अंत में आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जिला स्थापना के न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, मध्यस्थ अधिवक्तागण, गांधीवादी विचारक, पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेन्टियर्स, कर्मचारीगण एवं पत्रकारगण सम्मिलित हुये।

गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा और मध्यस्थता विषय पर हुई परिचर्चा

गांधी जयंती-अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर हुआ आयोजन

नीमच (निप्र)। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) को समय दोपहर 12:00 बजे जिला न्यायालय स्थित ए.डी.आर. सेंटर के सभाकक्ष में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीष, नीमच हृदेष के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधान न्यायाधीष, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच अखिलेष शुक्ला की अध्यक्षता में "गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा और मध्यस्थता" विषय पर परिचर्चा एवं मध्यस्थता जागरूकता शिविर का कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुये आयोजन सम्पन्न हुआ।

परिचर्चा में माननीय जिला न्यायाधीष हृदेष ने अपने संबोधन में व्यक्ति किया कि गांधीजी की अहिंसा की अवधारणा एवं उनके अमर विचारों पर अमल किया जावे तो पूरा समाज शांतिमय एवं हिंसा विहीन हो जायेगा। उन्होंने कहा कि जब विवादों का समापन सुलह से होगा तो हिंसा की गुंजाईष नहीं रहेगी और अहिंसा की अवधारणा पनपेगी। सुलह के माध्यम से समझौता कराने में मध्यस्थता प्रक्रिया की भूमिका अहम हो जाती है।

उक्त कार्यक्रम को प्रधान न्यायाधीष कुटुम्ब न्यायालय अखिलेष शुक्ला, अपर जिला न्यायाधीष विवेक कुमार, अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह भाटी, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती हेमलता धाकड़, वरिष्ठ पत्रकार एवं नई विधा राजेश मानव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मधु बंसल, गांधीवादी चिंतक एवं समाजसेवी अजय भटनागर, प्रोफसर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच डॉ संजय जोषी ने भी सम्बोधित कर, गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा पर अपने विचार रखे एवं गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाष डाला।

कार्यक्रम के प्रारंभ में आयोजन के उद्देश्य एवं रूपरेखा के बारे में अवगत कराते हुये, अपर जिला न्यायाधीष/सचिव संजय कुमार जैन ने कार्यक्रम का संचालन एवं अंत में आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में जिला स्थापना के न्यायाधीषगण, अधिवक्तागण, मध्यस्थ अधिवक्तागण, गांधीवादी विचारक, पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेन्टियर्स, कर्मचारीगण एवं पत्रकारगण

मालवा टुडे

जिला न्यायालय परिसर में किया मध्यस्थता जागरूकता को प्रेरित

हरदा। गांधी जयंती के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशीकला नंदा ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने शिविर में उपस्थित न्यायाधीश एवं अधिवक्ताओं को मध्यस्थता जागरूकता योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने एवं न्यायालय में ऑनलाइन एवं संचार माध्यमों से मध्यस्थता कार्रवाई करने पर जोर दिया। न्यायाधीश केएस शाक्य ने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण किया जाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। विवाद का अंतिम रूप से निराकरण होता है। इस मौके पर विशेष न्यायाधीश एसके जोशी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय केशव सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह, अधिवक्तागण तथा न्यायालयीन कर्मचारी मौजूद थे।

गांधी जयंती पर सफाई मित्रों के लिए लगाया गया योजना शिविर

नदी के घाट पर साफ– सफाई कर दिया जागरुकता का संदेश

नदी के घाट पर साफ–सफाई करते वालंटियर। ● नवदुनिया

खिरकिया (नवदुनिया न्यूज)। गांधी जयंती एवं लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को चारुवा गुप्तेश्वर मंदिर के समीप माचक नदी के घाटों की साफ-सफाई की गई। पैरालीगल वालंटियर संजय गंगराड़े के द्वारा उपस्थित सभी लोगों को समझाइश दी कि वह नदी के घाटों पर गंदगी न करें। गांधीजी के आदर्शों पर चलकर अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। इस नदी के घाट पर आसपास के 40 से 50 ग्राम के लोग घाट एवं मुंडन कार्यक्रम करने के लिए आते हैं। कार्यक्रम के बाद वे लोग मुंडन के बाल एवं ब्लेड आदि वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, जिससे घाटों पर काफी गंदगी होती है।

इस दौरान पैरालीगल वालंटियर सुनील राजपूत, उप सरपंच संजय नामदेव, समिति से पवन बघेला, दिनेश दशोरे, विजय दशोरे, संदेश जैन, अभिषेक तिवारी, तरुण सोनी, सानिध्य गंगराड़े, चिराग गंगराड़े, लोकीप राजपूत आदि मौजूद रहे।

Celebrating World Mental Health Day

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

दिनांक 10 अक्टूबर 2020 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा **"तनाव मुक्त सफल जीवन"** विषय पर एक ऑनलाईन वेबीनार आयोजित किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारीगण, सचिव, एवं प्रभारी मेंटल हेल्थ जिला चिकित्सालय छतरपुर डॉ. हिमांशी चतुर्वेदी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी व महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में ऑनलाईन माध्यम से जुड़े व्यक्तियों को **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत** वह व्यक्ति जिन्हें अशक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 के तहत परिभाशित किया गया है और जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के खंड (क्यू) के अर्थ में मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम में रखा गया है **विधिक सेवाओं के हकदार है।**

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर ने बताया कि व्यक्ति एकांकी जीवन जीने लगा है जिससे कि नेगेटिव थॉट आते है और सुसाइड कर लेता है, जानकारी देकर ऑनलाईन वेबीनार से जुड़े व्यक्तियों को लाभांवित किया।

डॉ. हिमांशी चतुर्वेदी प्रभारी मेंटल हेल्थ जिला चिकित्सालय छतरपुर ने बताया कि कोरोना काल के समय कैसे मनोरोग से बचने के लिए क्या उपाय करें, कैसे बचा जा सकता है, विशय पर विस्तृत जानकारी दी। डॉ. चतुर्वेदी ने बार-बार सेनेटाईजर से हाथ धोना यदि आप अकेले बैठे है तब भी बार-बार हाथ सेनेटाईजर से धोते हैं या साबुन से धोते है तो यह एक मनोरोग हो जाएगा आदि जानकारी प्रदान की।

उक्त ऑनलाईन वेबीनार शिविर में झाबुआ जिले के लोगों ने भी ऑनलाईन भाग लिया शिविर से लगभग 150 व्यक्ति लाभांवित हुये।

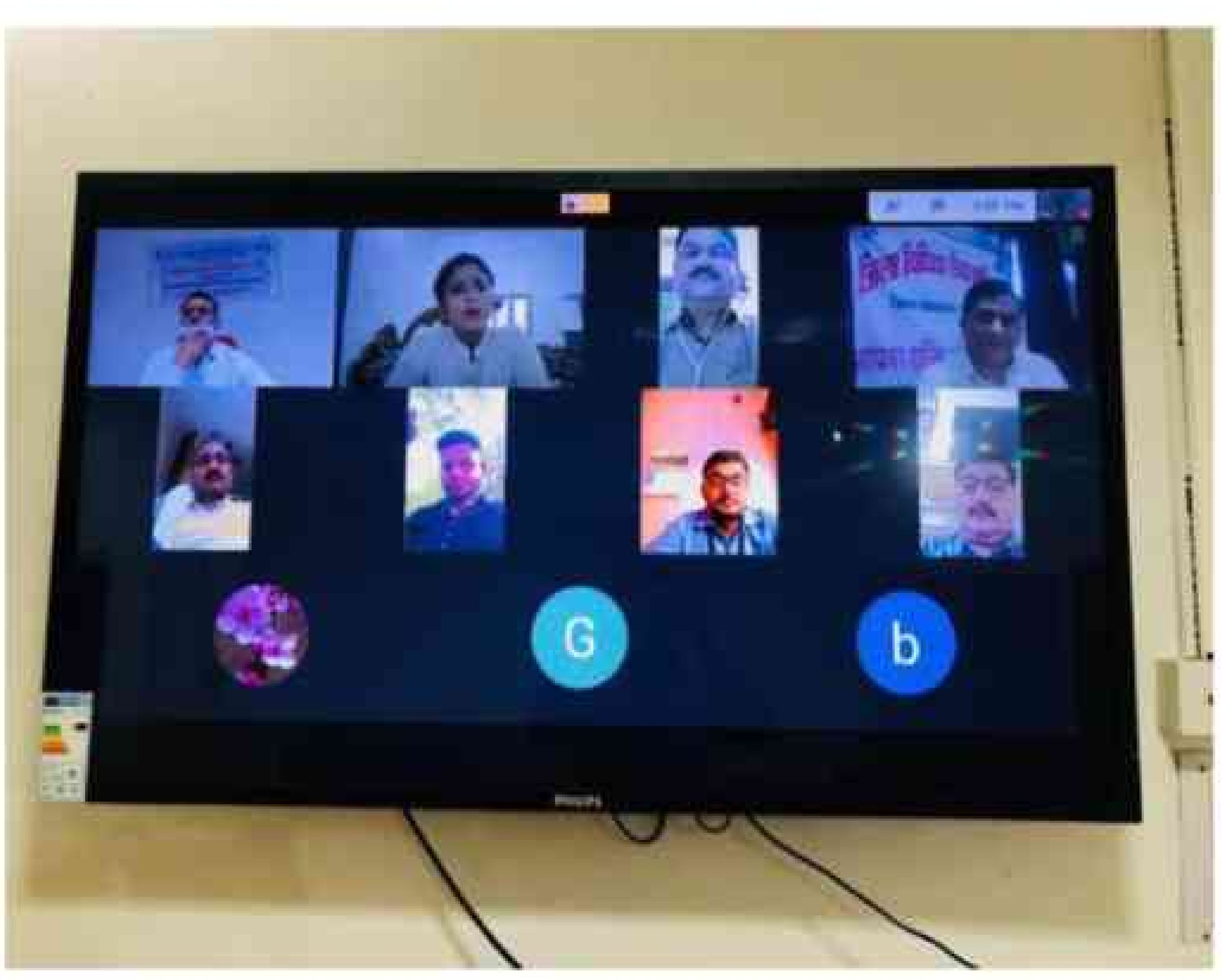

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल

10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस मनाये जाने पैरालीगल वालेटियर्स श्रीमती स्वाती सोनी एवं श्रीमती वंदना बारस्कर के माध्यम से ग्राम मरामझिरी जिला बैतूल में शिविर आयोजित किया गया।

दिनांक 10.10.2020 को उक्त पैरालीगल वॉलेटियर्स द्वारा ग्राम मरामझिरी जिला बैतूल में पहुचकर ग्रामीणों को विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस के अवसर पर जागरूक किया गया एवं महिलाओं को प्रतिदिन योग करने के लाभ बताये गये जिसमें अनुलोम–विलोम तथा प्राणायाम करने के लाभ तथा विधि के बारे में विस्तार में जानकारी प्रदान की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला

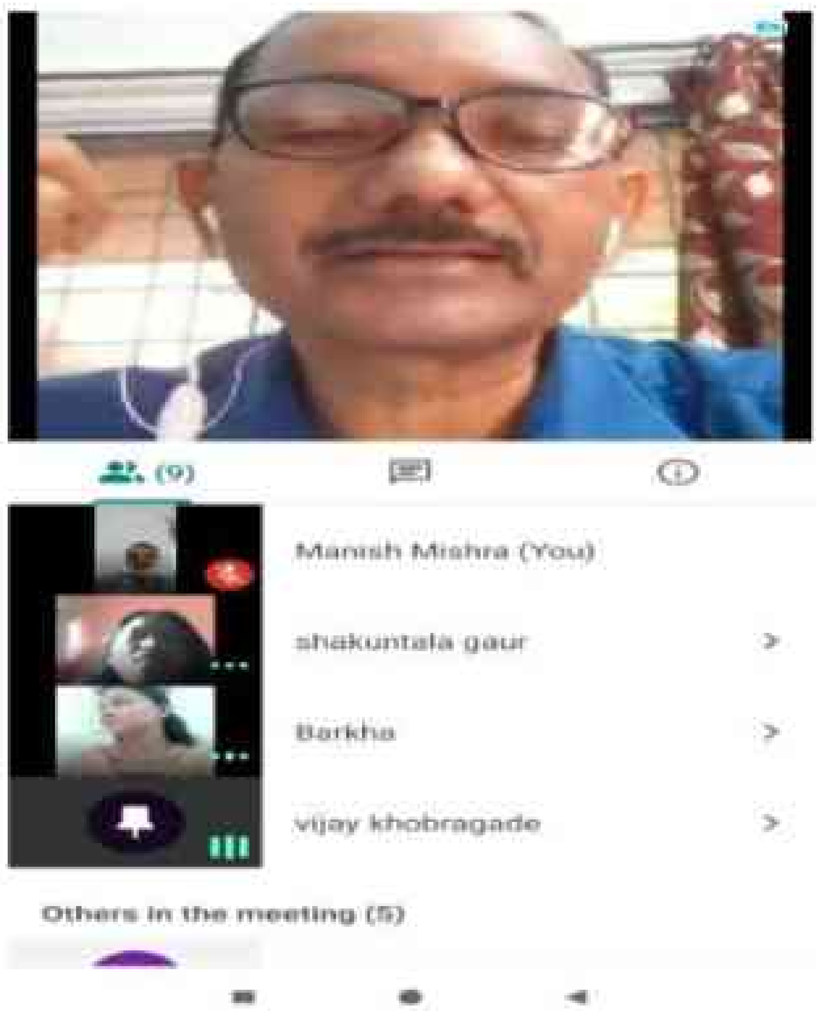

दिनांक 09.10.2020 को अंतर्राष्टोय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर गूगल मीट एप के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं पैरालीगल वालेंटियर्स एवं आमजनों की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा

10 अक्टूबर 2020 का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा विश्व मनासिंक दिवस के अवसर पर डिप्रेशन से निपटने के निदान एवं उपायों के बारे में शिविर का आयोजन किया गया ।

Outreach Activities on various Schemes

Live TV program on Doordharshan

DLSA Secretary Bhopal participated as legal expert in Live T.V. Program on Doordharshan on 13th October, 2020 in order to aware the general public about their legal rights and duties. The said program was on the topic " Legal Services Authorities and their activities- Structure- Eligibility- Modes of legal services in Litigation" . Requisite information was being given about the functions, objectives of Legal services Authority in detail during the program. It has been given more emphasis that the legal services authority has wide jurisdiction to deal all civil cases, matrimonial cases, all compoundable criminal cases and mandatory pre litigation mediation in commercial dispute. Other information related to eligibility criteria in order to get legal services and its procedure thereof were also given in simple and lucid language. Certain questions were raised by general public during the program and the Secretary given its answers accordingly.

DLSA SHEOPUR

Under the aegis of District Legal Services Authority, Sheopur (M.P.), PLV, Smt, Anjana Sharma had on dated 14-10-2020 organised a legal literacy camp for women at Women Rights Center.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर

ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के छात्र-छात्राओं को दी गई यौन उत्पीड़न अधिनियम की जानकारी

The awareness concerning rights conferred on women and harmful effects of consumption of tobacco and drugs were imparted in the said camp.

DLSA DHAR

निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार की ओर से चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में शामिल हुए बच्चों में से विजेता बच्चों को दिनांक 14.10.2020 को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित करते हुए पुरस्कार वितरण किया गया।

DLSA ANUPPUR

(1) Awareness camp was organized under the NALSA (Legal Services for Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme 2015, at Gram Panchayat Bakhi on 12-10-20. People were made aware about the rights of the ST/SC (Prevention of Atrocities) Act, Victim compensation scheme, Free and Competent Legal Aid Scheme, Rights of Women inmates, various government schemes operated for Tribals. 24 people benefited from the program.

(2) Awareness camp ware organized under the NALSA (Legal Services for Unorganized Sector Workers) Scheme 2015, at Gram panchyat Village Dhiraul on 13-10-20. The people became aware about the labor law, public utility Lok Adalat, free and competent legal aid scheme. 21 people benefited from the program.

(3) Legal Literacy camp was organized under the NALSA (Legal Services for Trafficking and Commercial Sexual Exploitation Victims) Scheme 2015, at Gram Panchayat Patna, on 13-10-20. There were told about the rights of women who are victims of crime, victim compensation, rehabilitation facility, free and competent legal assistance scheme. About rights of women prisoners, various government schemes operated for women and girls, facility of one stop center also told.

DLSA DATIA

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा दिनांक 06.10.2020 को समर्पण नशा मुक्ति केन्द्र दतिया की समस्याओं का समाधान एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उददेश्य से ऑन –लाईन निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया ।

DLSA CHHATARPUR

(1) Camp was organized at Mahila Samiti Chhatarpur to aware people about Fundamental Duties provided in the Consititution and NALSA Scheme - Legal Service to the Mentally ill and mental disabled persons, scheme-2015.

(2) Camp was organized at Village - Khajua , to aware people about NALSA Scheme - Legal Service to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace, scheme-2015.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

मद्य निषेध सप्ताह कार्यक्रम में दिनांक 7 अक्टूबर–2020 को जिला चिकित्सालय झाबुआ में **नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन) योजना–2015 अंतर्गत नशा मुक्ति एवं जागरूकता कार्यक्रम एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन** किया गया। उपस्थित नशा पीड़ितों एवं आम नागरिको को नशे के व्यसन से मुक्ति के लिये चिकित्सीय उपचार एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया गया एवं सभी प्रकार के नशा तथा नशीली वस्तुयें जैसे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम, चरस, हैरोईन, आदि को छोड़ने की सलाह एवं समझाईस दी गई। उक्त शिविर से लगभग 50 नशा पीड़ित एवं अन्य व्यक्ति लाभांवित हुये।

झाबुआ-बड़वानी नवभारत

नशे की लत व्यक्ति के साथ परिवार और समाज के लिए घातक

नशा पीड़ितों के लिये उपचार, परामर्श एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी

दिनांक 11 अक्टूबर, 2020 (रविवार) को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के सामंजस्य से वनस्टॉप सेंटर, शिवपुरी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के बारे म जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं पी0एल0व्ही0 कु0 मोनिका केवट उपस्थित रहीं।

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर सामाजिक मानसिकता में बदलाव की अपील

बेटियों की शिक्षा-सुरक्षा के लिए हर स्तर पर प्रयासों की जरूरत

शिवपुरी। इतिहास गवाह है कि बेटियां कभी भी समाज और परिवारों में बोझ नहीं समझी गईं, उन्हें देवी के रूप में हमेशा सम्मान की नजरों से देखा जाता रहा है। यह तो दूषित सामाजिक सोच का परिणाम रहा कि हम विकसित होने का ढोंग करते करते दहेज के लालची बनते गए और अपनी ही बालिका संतान हमें बोझ लगने लगी। यह बात अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा ने कही।

महिला एवं बाल विकास द्वारा वन स्टॉप सेंटर में महिला एवं बच्चों के कानूनों पर आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि हमें बेटे पैदा करने का अहंकार नहीं करना चाहिये। बेटे-बेटियां सब प्रकृति की देन है, उन्हें समान परवरिस, समान स्नेह और समान अवसर देने की जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायेगा कि हम 21वी सदी में बेटियों को बचाने के लिये इस प्रकार के दिवसों का आयोजन और योजनाओं का संचालन कर रहे है। संगोष्ठी में पीसीपीएनडीटी एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, पॉक्सो एवं बाल विवाह निषेध कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। विधिक सहायता अधिकारी शिखा ने कहा कि कानून दूसरों को सबक सिखाने के लिये नहीं, हमारी हिफाजत के लिये होते है। हमें उनके दुरुपयोग से बचना चाहिये।

साइकिल रैली निकालकर दिया बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का संदेश

महिला बाल विकास विभाग नरवर द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किशोरी बालिकाओं की साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेन्द्र सुंदरियाल ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। श्री सुंदरियाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य मे उपस्थित आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, किशोरी बालिकाओं एवं जनसमूह को सामाजिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सभी सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तरों पर मुख्य रूप से सशक्त भूमिका निभाने वाली हस्तियों का उदाहरण देकर किशोरी बालिकाओं को जीवन मे आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। साइकिल रैली महिला एवं बाल विकास विभाग नरवर के जनपद परिसर मे स्थित कार्यालय से प्रारंभ होकर बाईपास के रास्ते लोढ़ी माता मंदिर से होते हुए नरवर मुख्य बाजार के रास्ते से वापिस होते हुए कार्यालय पर समाप्त हुई। उक्त रैली के सफल आयोजन मे पुलिस विभाग नरवर का भी योगदान सराहनीय रहा। परियोजना अधिकारी रविरमन पाराशर द्वारा रैली समाप्ति पर भागीदारी करने वाली किशोरी बालिकाओं एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उक्त रैली के आयोजन मे मुख्य रूप से अजय तिवारी, धर्मेन्द्र यादव, श्रीमती अर्चना महाजन, श्रीमती कीर्ति वर्मा, श्रीमती जयदेवी राकर, श्रीमती निशा सिकरवार, श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, शंकर मौर्य, अरविंद सिंह रजोरिया आरक्षक, सुनील रावत आरक्षक, केदारीलाल आदिवासी का योगदान सराहनीय रहा।

स्टार समाचार Mon, 12 October 2020
epaper.starsamachar.com/c/55606495

Empowering Women through Legal Awareness Camp

A CAMPAIGN for empowering women has been launched by Hon'ble Executive Chairman of NALSA, On the countries 74th,,under joint initiative of NALSA and NCW. In pursuance of scheme Legal Awareness Programme are being organized by DLSA's across the state under the existing protocol. The resource persons enlightened the female participants about certain women laws as prescribed by NALSA.

DLSA BALAGHAT (10.10.2020)

DLSA BARWANI (10.10.2020)

DLSA BETUL (14.10.2020)

DLSA BHIND (06.10.2020)

DLSA BURHANPUR (14.10.2020)

DLSA CHHATARPUR (14.10.2020)

DLSA DEWAS (10.10.2020)

DLSA DHAR (15.10.2020)

DLSA HOSHANGABAD (10.10.2020)

DLSA INDORE (10.10.2020)

DLSA JABALPUR (10.10.2020)

DLSA KATNI (10.10.2020)

DLSA KHANDWA (09.10.2020)

DLSA MANDLESHWAR (17.10.2020)

DLSA MANDSAUR (10.10.2020)

DLSA MORENA (09.10.2020)

DLSA NARSINGHPUR (20.10.2020)

DLSA NEEMUCH (10.10.2020)

DLSA PANNA (14.10.2020)

DLSA RAISEN (14.10.2020)

DLSA RAJGARH (12.10.2020)

DLSA SAGAR (10.10.2020)

DLSA SATNA (17.10.2020)

DLSA SEHORE (15.10.2020)

DLSA SEONI (16.10.2020)

DLSA SHAJAPUR (03.10.2020)

DLSA SHEOPUR (05.10.2020)

DLSA SIDHI (16.10.2020)

DLSA SINGRAULI (17.10.2020)

DLSA TIKAMGARH (23.10.2020)

DLSA UMARIA (10.10.2020)

DLSA VIDISHA (15.10.2020)

Media Coverage

शिविर | ग्राम कोटरा में हुआ विधिक जागरूकता शिविर

संविधान में महिलाओं को मिले कई अधिकार : भगवती

कोटरा में आयोजित हुआ विधिक जागरुकता का महिला सशक्तिकरण कार्यकम

महिलाओं के अधिकार की जानकारी आप तक पहुचना कार्यक्रम का उद्देश्य : आर.एम भगवती अपर जज

महिलाओं को कानूनी जागरूकता से अवगत करना विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य : विभूति तिवारी

दैनिक भास्कर धार भास्कर 18-10-2020

राष्ट्र का विकास करना है तो पहले महिलाओं का विकास जरूरी

धामनोद. कार्यक्रम को संबोधित करते अतिथि व शामिल महिलाएं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधीश बड़ोदिया ने कहा

भास्कर संवाददाता | धामनोद

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के सयुंक्त तत्वावधान में धामनोद के एमएनडीसी कॉलेज में महिलाओं के उत्थान के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजाराम बड़ोदिया, कानून विशेषज्ञ एकता शर्मा, अधिवक्ता दुर्गा मेरवानी थी।

विशेष अतिथि जिला आयोग मित्र जयेश राजपुरोहित, रीना नाहर, धरमपुरी सीडीपीओ प्रिया बुंदेला थी। न्यायाधीश बड़ोदिया ने किस प्रकार समाज के कमजोर वर्ग एवं पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाया जा सकता है एवं निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जा सकती है इसके बारे में बताते हुए कहा यदि हमें राष्ट्र का विकास करना है तो पहले महिलाओं का विकास करना होगा। शर्मा ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, पाक्सो अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक अपराधों की रोकथाम, स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के बारे में बताया। नाहर व राजपुरोहित ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सलोनी राठौर, लेखा शर्मा, शिवसिंह तोमर धार मौजूद थी। कोरोना के नियमों का पालन करने व मास्क पहनने की शपथ दिलाई। संस्था द्वारा अतिथियों को अभिनंदन पत्र एव स्मृति चिह्न भेंट किए। संचालन मनोज नाहर एवं आभार सीमा मिश्रा ने माना।

शिविर में महिलाओं को दी गई अधिकारों की जानकारी

हरिभूमि न्यूज ›› सीहोर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष राजवर्धन, गुप्ता के मार्गदर्शन में महिलाओं से सम्बंधित कानून और मुद्दो से सम्बंधित जागरूकता के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से जागरूकता से सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया है।

महिलाओं के अधिकारो से सम्बंधित शिविर में उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा जारी कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किया जाकर शिविर के पूर्व उपस्थित होने वाली महिलाओं व अधिकारियों की थर्मल स्क्रिनिंग की गई। शिविर में नागोत्रा ने महिलाओं के अधिकार, कानून की

सीहोर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शिविर का हुआ आयोजन।

समस्त धाराओं के बारे में, उनको सजग व साक्षर रहने के लिए प्रेरित किया गया व अन्य उदाहरण देकर भी विस्तार से समझाया।

दिलीप जैन सीईओ जनपद पंचायत ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम के बारे में बताकर उन्हे अपने प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। अधिवक्ता रजंना शर्मा व बरखा वर्मा द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के बारे मे शिविर मे महिलाओं को जानकारी दी गई।

आबिद खान पैरालीगल वालेन्टियर्स द्वारा शिविर में हेल्प डेस्क पर महिलाओं की समस्याओं के सम्बंध मे आवेदन लिए गए। शिविर में अपर जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एसके. नागोत्रा, जिला विधिक सहायता अधिकारी अनीस अब्बासी, सीईओ जनपद पंचायत दिलीप जैन, महिला एवं बाल विकास अधिकारी रचना बुदेलिया एवं बरखा वर्मा, रंजना शर्मा, सरपंच व सचिव, पैरालीगल वालेन्टियर्स आबिद खान सहित महिलाएं आयोजित विधिक साक्षरता शिविर मे उपस्थित हुई।

18 OCT 2020

शिविर में महिलाओं को दी गई उनके अधिकारों की जानकारी

आमद्वार संवाददाता, सीहोर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष राजवर्धन गुप्ता के मार्गदर्शन में महिलाओं से संबंधित कानून और मुद्दों से संबंधित जागरूकता के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से जागरूकता से सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया है।

शिविर में अपर जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एसके. नागोत्रा, जिला विधिक सहायता अधिकारी अनीस अब्बासी, सीईओ जनपद पंचायत दिलीप जैन, महिला एवं बाल विकास अधिकारी रचना बुदेलिया एवं रिसोर्स पर्सन बरखा वर्मा, रंजना शर्मा, सरपंच व सचिव, पैरालीगल वॉलेंटियर्स आबिद खान सहित महिलाएं उपस्थित हुई। महिलाओं के अधिकारों से संबंधित शिविर में उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा जारी कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किया गया। शिविर में आने वाली सभी महिलाओं और अधिकारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। शिविर में नागोत्रा ने महिलाओं के अधिकार, कानून की समस्त धाराओं के बारे में, उनको सजग और साक्षर रहने के लिए प्रेरित किया गया, साथ ही उदाहरण देकर भी विस्तार से समझाया। नागोत्रा द्वारा महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

अनीस अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी सीहोर द्वारा बताया गया कि शिविर का उद्देश्य जागरूकता से सशक्तिकरण है, महिलाएं अपने अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक होकर सशक्त व शक्तिशाली हो सकती है। महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 विधिक सहायता योजना एंव परिवार परामर्श केंद्र योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

दिलीप जैन सीईओ जनपद पंचायत ने महिलाओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम के बारे में बताकर उन्हें खुद के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्र का विकास करना हैए तो महिलाओं का विकास आवश्यक है, न्यायाधीश बडोदिया

Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues
33	12

----XXX-----